रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/99 REGISTERED No. DL—33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA
भारत सरकार

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 27, 1999 (अग्रहायण 6, 1921)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 27, 1999 (AGRAHAYANA 6, 1921)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

यूको बैंक सामान्य विनियमावली, 1998

प्रधान कार्यालय, 10, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी
(ब्रेबोर्न रोड) कलकत्ता-700 001

बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयुक्त करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् तथा केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से यूको बैंक के निदेशक मंडल ने एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए हैं जो इस प्रकार हैं :—

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ :—

(1) इन विनियमों को यूको बैंक सामान्य विनियमावली 1998 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं : इन विनियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ या उसके तात्पर्य के विरुद्ध कुछ न हो :—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5);

(ख) "बैंक" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यूको बैंक;

(ग) "मंडल" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत गठित निदेशक मंडल;

(घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है मंडल का अध्यक्ष;

(च) "समिति" से अभिप्रेत है मंडल द्वारा गठित समिति;

(छ) "कार्यपालक निदेशक" से अभिप्रेत है पूर्णकालिक निदेशक जो प्रबंध निदेशक नहीं है;

(ज) "महाप्रबंधक" से अभिप्रेत है बैंक के महाप्रबंधक;

(झ) "प्रबंधन समिति" से अभिप्रेत है योजना के खण्ड 13 के अंतर्गत गठित समिति;

(ट) "प्रबंध निदेशक" से अभिप्रेत है बैंक का प्रबंध निदेशक;

(ठ) "रजिस्टर" से अभिप्रेत है बैंक की एक या अधिक बहियों में रखा गया शेयरधारकों का रजिस्टर तथा इसमें अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2बी) के अंतर्गत कम्प्यूटर प्रणाली या डिस्क में रखे गए शेयर धारकों के रजिस्टर भी सम्मिलित हैं;

(ड) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है बैंक द्वारा निम्न कार्यों के लिए नियुक्त व्यक्ति :—

(1) किसी निर्गम के संबंध में निवेशकों से आवेदन स्वीकारना,

(2) निवेशकों से प्राप्त आवेदनों तथा राशियों का या प्रतिभूति के निवेशकों को प्रदत्त राशि/राशियों का उचित रिकार्ड रखना।

iii) बैंक को निम्नलिखित कार्यों में सहायता करना

क) स्टॉक एक्सचेंज के परामर्श से प्रतिभूतियों के आबंटन का आधार निश्चित करना

ख) प्रतिभूतियों के आबंटन हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप देना

ग) आबंटन पत्र, रिफंड ऑर्डर या प्रमाणपत्र तथा निर्गम से संबंधित अन्य दस्तावेज तैयार करना तथा प्रेषित करना तथा

iv) अन्य कार्य जो समय-समय पर बैंक द्वारा सौंपे जाएंगे।

ढ) "योजना" से अभिप्रेत है राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970

त) "शेयर" से अभिप्रेत है बैंक की शेयर पूंजी में शेयर

थ) "शेयर हस्तांतरण एजेंट" में निम्नलिखित समाविष्ट हैं :-

i) कोई व्यक्ति जो बैंक द्वारा जारी प्रतिभूति के धारकों का रिकॉर्ड बैंक की ओर से रखता हो तथा बैंक की प्रतिभूतियों के हस्तांतरण तथा प्रतिदान (रिडेम्पशन) से संबंधित सभी मामले देखता हो, या

ii) बैंक का विभाग या प्रभाग (चाहे जिस नाम से बुलाया जाए) जो उपखंड (i) में संदर्भित गतिविधियों का निष्पादन करता हो

द) इन विनियमों में अपरिभाषित परंतु निक्षेपागार (डिपॉजिटरीज) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 22) में परिभाषित अध्याय-III में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का क्रमशः वह अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

ध) इन विनियमों में प्रयुक्त अन्य अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं की गई हैं या योजना का अर्थ इस अधिनियम में इसके साथ क्रम से दिया हुआ अर्थ समझा जाएगा या योजना समझा जाएगा।

.....

शेयर तथा शेयर रजिस्टर

3. **शेयरों का स्वरूप** — बैंक के शेयर चल संपत्ति होंगे तथा इन विनियमों में बताए गए अनुसार हस्तांतरणीय होंगे।

4. **शेयर पूंजी के प्रकार** —

i) अधिमान शेयर पूंजी का तात्पर्य है बैंक की शेयर पूँजी का वह भाग जो निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी करता हो :-

अ) लाभांश के संबंध में, एक निश्चित राशि या निश्चित दर पर परिकलित राशि, जो आयकर मुक्त या आयकर के अधीन हो सकती है, के भुगतान का अधिमान हक होता है तथा

आ) पूँजी के संबंध में, समापन होने पर या पूँजी का पुनर्भुगतान किए जाने पर प्रदत्त पूंजी या प्रदत्त समझी जाने वाली पूंजी की राशि का पुनर्भुगतान प्राप्त करने का अधिमान हक होता है या होगा चाहे निम्न में से कोई या दोनों राशियों के भुगतान का अधिमान हक है या नहीं, अर्थात्

क) खंड (अ) में विनिर्दिष्ट राशियों के संबंध में समापन या पूंजी के पुनर्भुगतान की तारीख तक अदत्त कोई राशि

ख) केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट निश्चित प्रीमियम या किसी निश्चित पैमाने पर प्रीमियम

ii) 'इक्विटी शेयर पूंजी' से अभिप्रेत है संपूर्ण शेयर पूंजी जो अधिमान शेयर पूंजी नहीं है।

iii) अभिव्यक्ति "अधिमान शेयर" तथा 'इक्विटी शेयर' का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

5. **रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले विवरण** —

i) अधिनियम की धारा 3 उप धारा (2एफ) के अनुसार एक शेयर रजिस्टर होगा जिसे अनुरक्षित तथा अद्यतन रखा जाएगा।

ii) अधिनियम की धारा 3 उप धारा (2 एफ) में विनिर्दिष्ट विवरणों के अतिरिक्त मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विवरण रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे।

iii) यदि किसी शेयर के संयुक्त धारक हों तो उनके नाम तथा उप विनियम (i) द्वारा अपेक्षित उनके अन्य विवरण ऐसे संयुक्त धारकों के पहले धारक के नाम के साथ जोड़े जाएंगे।

iv) अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2डी) के प्रावधानों के अधीन, भारत के बाहर निवास करने वाला शेयरधारक बैंक को भारत का कोई पता दे सकता है और ऐसा कोई भी पता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा अधिनियम तथा इन विनियमों के प्रयोजनार्थ वह उसका पंजीकृत पता माना जाएगा।

v) किसी न्यास (ट्रस्ट) की स्पष्ट, अव्यक्त या परिलक्षित कोई भी सूचना रजिस्टर में दर्ज नहीं की जाएगी या बैंक द्वारा स्वीकार्य नहीं होगी।

6. शेयरों तथा रजिस्टरों पर नियंत्रण —

अधिनियम तथा इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन तथा समय-समय पर मंडल (बोर्ड) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बैंक के प्रधान कार्यालय में रजिस्टर होगा तथा उसे अनुरक्षित रखा जाएगा और मंडल (बोर्ड) के नियंत्रणाधीन होगा और कोई व्यक्ति किसी शेयर के संबंध में शेयरधारक के रूप में पंजीकृत होने का पात्र है या नहीं इसके संबंध में मंडल (बोर्ड) का निर्णय अंतिम होगा।

7. वे पार्टियाँ जिन्हें शेयरधारक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता —

i) इन विनियमों द्वारा किए गए अन्यथा प्रावधानों को छोड़कर, वे सभी व्यक्ति जो संविदा करने हेतु अक्षम हैं, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु पात्र नहीं हैं तथा इस संबंध में मंडल का निर्णय निश्चायक तथा अंतिम होगा।

ii) फर्मों के मामले में, अलग-अलग भागीदारों (पार्टनरों) के नाम में शेयर पंजीकृत किए जा सकते हैं तथा कोई भी फर्म इस प्रकार शेयर धारक के रूप में पंजीकृत किए जाने की पात्र नहीं होगी।

8. कम्प्यूटर प्रणाली में शेयर रजिस्टर इत्यादि रखना —

i) अधिनियम की धारा 3 उप धारा (2एफ) के अंतर्गत शेयर रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले तथा विनियम 5 में उल्लिखित विवरणों को प्रधान कार्यालय में रखे जाने वाले कम्प्यूटर में डिस्क, फ्लॉपी के माध्यम से या अन्यथा (इसके पश्चात् "मीडिया" कहा गया है) मैग्नेटिक/ऑप्टिकल/मैग्नेटों ऑप्टिकल मीडिया में डाटा रूप में संग्रहित किया जाएगा तथा अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट महाप्रबंधक की श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा (इसके पश्चात् "विनिर्दिष्ट अधिकारी" कहा गया है) समय-समय पर निश्चित किए गए स्थान पर बैक अप को रखा जाएगा।

ii) निक्षेपागार (डिपॉजिटरीज) अधिनियम, 1996 की धारा 11 के साथ पढ़ी गई अधिनियम की धारा 3(बी) के अंतर्गत शेयर रजिस्टर में दर्ज किए जाने वाले विवरण निर्धारित स्वरूप तथा प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाएंगे।

9. कम्प्यूटर प्रणाली की सुरक्षा हेतु उपाय —

i) विनियम 8 (i) के अनुसार जहां डाटा संग्रहित किया गया है उस प्रणाली में निर्गम के रजिस्ट्रार और/या शेयर हस्तांतरण एजेंट सहित केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा इस संबंध में अधिकृत होंगे तथा "पासवर्ड" यदि कोई हो, और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली उक्त व्यक्तियों की अभिरक्षा में तथा गोपनीय रखी जाएगी।

ii) अधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रवेश को कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा लॉग में रिकॉर्ड किया जाएगा और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी/व्यक्ति के पास ये लॉग संरक्षित किए जाएंगे।

iii) शेयरधारकों के रजिस्टर में परिवर्तन करते हुए निकाले जाने योग्य मीडिया पर बैक अप की प्रतियां ऐसे अंतरालों पर ली जाएंगी जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी। इन प्रतियों में से कम से कम एक प्रति ऐसे स्थान पर रखी जाएगी जो उस परिसर से भिन्न होगा जहां प्रोसेसिंग की जा रही है। यह प्रति लॉकिंग व्यवस्था सहित अग्नि-अवरोधक वातावरण में तथा आवश्यक तापमान पर संग्रहित की जाएगी। दोनों स्थानों के बैक अप के लिए प्रवेश केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जो इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अधिकृत होंगे। इस प्रकार अधिकृत व्यक्ति उस स्थान पर रखे गए रजिस्टर में अपने प्रवेश को हाथ से दर्ज करेंगे।

iv) अधिकृत व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे बैक अप की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए यथोचित सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए बैक-अप के डाटा की तुलना कम्प्यूटर प्रणाली के डाटा से करें। इस प्रक्रिया का परिणाम प्रयोजनार्थ रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

v) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के लिए यह उचित होगा कि वे तकनीकी विकास, और/या स्थिति की आवश्यकताओं या किसी अन्य संबंधित तर्क पर ध्यान देते हुए कम्प्यूटर प्रणाली में शेयरधारकों के रजिस्टर रखे जाने के संदर्भ में अनुपालन की जाने वाली सावधानियों से संबंधित अनुदेशों, शर्तों में विशेष या मान्य आदेश द्वारा परिवर्तन या संशोधन करें।

10. **संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग** — यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम हैं तो शेयरों के हस्तांतरण को छोड़कर, मतदान लाभांश प्राप्ति, नोटिस की तारीख तथा बैंक से संबंधित सभी या किसी मामले के संदर्भ में जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में पहले होगा उसे शेयरों का एकल धारक माना जाएगा।

11. **रजिस्टर का निरीक्षण** —

i) विनियम 12 के अंतर्गत बंद रखे जाने के अलावा, रजिस्टर रखे गए स्थान पर मंडल द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन व्यवसाय के घंटों के दौरान किसी भी शेयर धारक के लिए निरीक्षण हेतु रजिस्टर निशुल्क खुला रहेगा लेकिन निरीक्षण हेतु अनुमति की अवधि प्रत्येक कार्यकारी दिवस को 2 घंटे से कम की नहीं होगी।

ii) कोई भी शेयरधारक रजिस्टर या कम्प्यूटर प्रिन्ट की प्रविष्टि का निशुल्क उद्धरण (एक्सट्रैक्ट) बना सकता है या यदि वह रजिस्टर के कम्प्यूटर प्रिन्ट की या उसके किसी भाग की प्रति चाहता हो तो प्रत्येक 100 शब्द या उसके आवश्यक आंशिक भाग के लिए रु. 5/- की दर पर पूर्व भुगतान किए जाने पर वह उसे दी जा सकती है।

iii) उप-विनियम (ii) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, सरकार के किसी भी विधिवत् अधिकृत अधिकारी को रजिस्टर से किसी प्रविष्टि की नकल या रजिस्टर या उसके किसी भाग की प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा।

12. रजिस्टर बंद करना —

भारत में प्रसारित होने वाले न्यूनतम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा कम से कम सात दिन की पूर्व सूचना देकर बैंक किसी अवधि या अवधियों के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर बंद कर सकता है और यह अवधि प्रत्येक वर्ष में कुल 45 दिनों से अधिक की नहीं होगी तथापि बैंक की राय में आवश्यक होने पर यह अवधि एक बार में तीस दिन से अधिक की नहीं होगी।

13. शेयर प्रमाणपत्र —

i) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र पर शेयर प्रमाणपत्र संख्या, विशिष्ट संख्या, जिस संबंध में वे जारी किए गए हैं उन शेयरों की संख्या तथा जिसे जारी किए गए हैं उस शेयरधारकों का नाम होगा तथा यह प्रमाणपत्र, मंडल (बोर्ड) द्वारा निर्धारित स्वरूप में होगा।

ii) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र मंडल के प्रस्ताव के अनुसार बैंक की सामान्य मुहर के अंतर्गत जारी होगा तथा दो निदेशकों और इस प्रयोजनार्थ बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

बशर्ते निदेशकों के हस्ताक्षर मुद्रित, उत्कीर्ण (इनग्रेव) लिथोग्राफ या मंडल (बोर्ड) द्वारा निर्देशित किसी अन्य यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अंकित (इम्प्रेस) करवाए जाएं।

iii) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, लिथोग्राफड या अन्यथा अंकित हस्ताक्षर उसी प्रकार वैध होगा जिस प्रकार हस्ताक्षरी के स्वयं के उचित हस्तलेख से होता है।

iv) कोई भी शेयर तब तक वैध नहीं होगा जब तक इस प्रकार हस्ताक्षरित नहीं होगा। इस प्रकार हस्ताक्षरित शेयर प्रमाणपत्र वैध तथा बाध्यकारी होंगे बावजूद इसके कि जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर प्रमाणपत्र पर हैं वह व्यक्ति इसके जारी होने से पूर्व बैंक की ओर से शेयर प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं रह गया हो।

v) यदि इस प्रकार तैयार किए गए प्रमाणपत्र पर ऊपर उप खंड (ii) में उल्लेख किए गए अनुसार किसी अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, जो प्रमाणपत्र जारी करने के समय जीवित नहीं है तो बैंक अपने लिए सर्वथा उपयुक्त समझी जाने वाली विधि से प्रमाणपत्र से ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर रद्द करवा सकता है और किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा सकता है। इस प्रकार जारी प्रमाणपत्र वैध होगा।

14. शेयर प्रमाणपत्र जारी करना —

i) किसी शेयरधारक को शेयर प्रमाणपत्र जारी करते समय मंडल (बोर्ड) के लिए यह उचित होगा कि शेयरधारक के नाम में एक अवसर पर पंजीकृत प्रत्येक 100 शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र के आधार पर या उसके गुणकों में प्रमाणपत्र जारी करे तथा उससे अधिक होने पर एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र जारी करे लेकिन शेयरों की संख्या सौ से कम होनी चाहिए।

ii) यदि पंजीकृत किए जाने वाले शेयरों की संख्या सौ से कम हो तो सभी शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

iii) कई व्यक्तियों द्वारा धारित किसी शेयर या शेयरों के संबंध में एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बैंक बाध्य नहीं होगा तथा संयुक्त धारकों में से एक को शेयर या शेयरों हेतु प्रमाणपत्र की सुपुर्दगी ऐसे सभी संयुक्त धारकों के लिए पर्याप्त सुपुर्दगी मानी जाएगी।

15. शेयर प्रमाणपत्रों का नवीकरण —

i) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र फट गया हो या खराब हो गया हो तो ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर मंडल (बोर्ड) या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समिति उसे रद्द करने का आदेश दे सकती है और उसके बदले एक नया प्रमाणपत्र जारी कर सकती है।

ii) यदि कोई शेयर प्रमाणपत्र कथित तौर पर खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो मंडल (बोर्ड) या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समिति जैसा उचित समझे वैसी जमानती या गैर-जमानती क्षतिपूर्ति और दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने तथा बैंक को इसकी लागत, खर्चों तथा व्ययों का भुगतान करने पर ऐसे खोए हुए या नष्ट हुए प्रमाणपत्र के हकदार व्यक्ति को उसके बदले में प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डुप्लीकेट) दी जा सकती है।

16. शेयरों का समेकन तथा उप-विभाजन —

शेयर धारक (कों) द्वारा लिखित आवेदन करने पर मंडल (बोर्ड) या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समिति प्रस्तुत किए गए शेयरों का मामले के अनुसार समेकन या उपविभाजन कर सकती है तथा बैंक को लागत, खर्चों का भुगतान करने पर उसके बदले में नए प्रमाणपत्र जारी कर सकती है।

17. शेयरों का हस्तांतरण —

i) बैंक के शेयरों का हस्तांतरण यहां संलग्न फार्म "क" के रूप में संलग्न हस्तांतरण विलेख द्वारा या समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य फार्म में होगा तथा यह फॉर्म विधिवत् स्टैम्प लगा हुआ, दिनांकित तथा संबंधित शेयर प्रमाणपत्र सहित हस्तांतरक तथा हस्तांतरिती द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित किया हुआ होगा।

ii) हस्तांतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र प्रधान कार्यालय में बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा तथा हस्तांतरक ऐसे शेयरों का तब तक धारक माना जाएगा जब तक कि हस्तांतरिती का नाम उस संबंध में शेयर रजिस्टर में दर्ज न कर लिया जाए।

iii) हस्तांतरण के पंजीकरण हेतु अनुरोध सहित शेयर प्रमाणपत्र के साथ हस्तांतरण विलेख बैंक द्वारा प्राप्त किए जाने पर मंडल (बोर्ड) या मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट समिति शेयर प्रमाणपत्र के साथ उक्त हस्तांतरण विलेख रजिस्टर और/या शेयर हस्तांतरण एजेंट को प्रेषित करेगी जिससे यह जांच की जा सके कि तकनीकी अपेक्षाओं का संपूर्णत: अनुपालन किया गया है। रजिस्ट्रार और/या शेयर हस्तांतरण एजेंट शेयर प्रमाणपत्र यदि हो, के साथ हस्तांतरण विलेख हस्तांतरिती को वापस भेज देगा :-

क) यदि बैंक को प्रस्तुत हस्तांतरण विलेख विधिवत् स्टैम्प लगा हुआ तथा पंजीकरण हेतु उचित रूप से निष्पादित नहीं है तथा उसके साथ संबंधित शेयरों का प्रमाणपत्र और ऐसा हस्तांतरण

करने के लिए हस्तांतरक के स्वामित्व को दर्शाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य साक्ष्य नहीं हैं।

ख) हस्तांतरण विलेख द्वारा समाहित शेयरों के संबंध में हस्तांतरिती को शेयर धारक के रूप में पंजीकृत किए जाने की योग्यता के प्रति रजिस्ट्रार संतुष्ट नहीं हैं।

iv) यदि विनियम 10 के अंतर्गत हस्तांतरण के पंजीकरण को मंडल (बोर्ड) या मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट समिति को अस्वीकार न कर दिया हो तो उसके बाद हस्तांतरण का पंजीकरण किया जाएगा।

18. **हस्तांतरणों को आस्थगित करने की शक्ति :—** रजिस्टर बंद रहने की अवधि के दौरान मंडल (बोर्ड) या मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट समिति कोई हस्तांतरण पंजीकृत नहीं करेगी।

19. **शेयरों के हस्तांतरण का पंजीकरण करने से इंकार करने का मंडल (बोर्ड) का अधिकार —**

i) मंडल (बोर्ड) निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से किसी शेयर का हस्तांतरण करने से इंकार कर सकता है तथा किसी अन्य कारण से इंकार नहीं कर सकता है :-

क) शेयरों का हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों या किसी अन्य कानून का उल्लंघन है या ऐसे हस्तांतरण के पंजीकरण से संबंधित कानून के अंतर्गत किसी अन्य अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया गया है;

ख) मंडल (बोर्ड) की राय में शेयरों का हस्तांतरण बैंक के हितों या जनहित के प्रतिकूल है :-

ग) न्यायालय, ट्रिब्युनल या उस समय प्रभावी किसी कानून के अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकारी के आदेश द्वारा शेयरों का हस्तांतरण प्रतिबंधित है।

घ) कोई व्यक्ति या कंपनी जो भारत के बाहर निवास करती है या भारत में अप्रभावी किसी कानून के अंतर्गत गठित कोई कंपनी या ऐसी कंपनी की कोई शाखा जो भारत में निवास करती हो या नहीं, हस्तांतरण अनुमति होने पर, उसके परिणामस्वरूप बैंक के शेयरों को रखेगी या अधिग्रहित करेगी तथा ऐसा कुल निवेश प्रदत्त पूंजी के 20% से अधिक होगा या राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा स्पष्ट किए गए अनुसार होगा।

बशर्ते, ऊपर उप-विनियम (i) (ग) में उल्लिखित इंकार करने की शक्तियों का उपयोग इस संदर्भ में मंडल (बोर्ड) द्वारा विनिर्दिष्ट समिति द्वारा किया जाए।

ii) हस्तांतरण के पंजीकरण के प्रयोजनार्थ बैंक शेयरों का हस्तांतरण विलेख जमा किए जाने के बाद मंडल (बोर्ड) अपनी राय बनाएगा कि उप विनियम (i) में वर्णित किसी कारण के आधार पर ऐसा पंजीकरण करने से इंकार करना चाहिए या इंकार नहीं करना चाहिए।

क) यदि मंडल (बोर्ड) की राय में ऐसा पंजीकरण करने से इंकार नहीं करना चाहिए तो पंजीकरण को प्रभावी कर देना चाहिए; और

ख) यदि मंडल (बोर्ड) की राय में उप-विनियम (i) में उल्लिखित किसी आधार पर ऐसा पंजीरण रद्द किया जा सकता है तो हस्तांतरण फॉर्म प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर लिखित रूप में सूचना द्वारा हस्तांतरक तथा हस्तांतरिती को सूचित करना चाहिए।

20. दिवालिएपन, मृत्यु आदि की दशा में शेयरों का प्रेषण —

i) यहां उल्लिखित व्यक्ति ही ऐसे शेयरों पर किसी प्रकार का स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति के रूप में बैंक द्वारा मान्य होंगे। शेयर के संबंध में, मृत शेयर धारक के निष्पादक या प्रशासक या वसीयत प्रमाणपत्र के धारक या वसीयत सहित या बिना वसीयत संलग्न किए प्रशासन पत्र के धारक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-X के अंतर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक या किसी विधिक अभिवेदन के धारक या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष मे मृत एकल धारक ने अपने जीवन काल में हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया हो।

ii) यदि शेयर दो या अधिक शेयरधारकों के नाम में पंजीकृत हों तो यहां उल्लिखित व्यक्ति ही ऐसे शेयरों पर किसी प्रकार का स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति के रूप में बैंक द्वारा मान्य होंगे। एक उत्तरजीवी या सभी उत्तरजीवी तथा अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर उसके निष्पादक या प्रशासक या ऐसा कोई व्यक्ति जो वसीयत प्रमाणपत्र का धारक है या वसीयत सहित या बिना वसीयत संलग्न किए प्रशासन पत्र के धारक या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक या शेयर में ऐसे उत्तरजीवी के हित से संबंधित किसी अन्य विधिक अभिवेदन का धारक या कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसे व्यक्ति या ऐसे अंतिम उत्तरजीवी ने अपने जीवन काल में हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया हो।

iii) बैंक ऐसे निष्पादक या प्रशासक को मान्य करने हेतु बाध्य नहीं होगा जब तक वे सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय से मामले के अनुसार वसीयत प्रमाणपत्र या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लेते। परंतु, यदि मंडल (बोर्ड) अपने विवेकानुसार उचित समझने पर क्षतिपूर्ति की शर्त पर या अन्यथा उचित समझने पर वसीयत प्रमाणपत्र या प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या ऐसी कोई अन्य विधिक अभिवेदन प्रस्तुत करने से छूट देता है तो यह मंडल के लिए विधि सम्मत होगा।

iv) शेयर धारक की मृत्यु के परिणामस्वरूप यदि कोई व्यक्ति शेयर का हकदार बनता है या शेयर धारक के दिवालिया होने पर, धन शोधन अक्षमता या शेयर बेचे जाने के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति शेयर का हकदार बनता है तो मंडल द्वारा अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत करने पर उसे निम्न अधिकार प्राप्त होंगे :-

क) ऐसे शेयर के संबंध में शेयरधारक के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार

ख) ऐसे शेयर को इस प्रकार हस्तांतरित करने का अधिकार जैसे उस व्यक्ति द्वारा किया जाता जिससे उसने हक प्राप्त किए हैं।

21. पंजीकरण हेतु योग्य न रहने वाले शेयर धारक —

एकल रूप में या दूसरे के साथ या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से शेयर धारक के रूप मे पंजीकृत व्यक्ति का

यह कर्तव्य होगा कि इस प्रकार पंजीकृत किए जाने योग्य नहीं रहने पर इस संबंध में उसकी सूचना तुरंत मंडल को दे।

22. **शेयरों पर मांग (कॉल)** — शेयर धारकों द्वारा धारित शेयरों की सभी अप्रदत्त राशियां जो आबंटन की शर्तों द्वारा निश्चित समय पर अदा नहीं की गई थी, के संबंध में समय-समय पर मंडल यथोचित रूप में शेयर धारकों से मांग कर सकता है तथा प्रत्येक शेयरधारक मंडल द्वारा निर्धारित समय तथा स्थान पर प्रत्येक मांग राशि अदा करेगा। मांग राशि (कॉल) किस्तों में दी जा सकती है।

23. **प्रस्ताव की तारीख से मांग (कॉल) का होना** — कोई मांग (कॉल) उस समय की गयी मानी जाएगी जब ऐसी मांग (कॉल) को अधिकृत करने वाला प्रस्ताव मंडल (बोर्ड) द्वारा पारित किया गया होगा तथा रजिस्टर के शेयर धारकों द्वारा मांग राशि (कॉल) का भुगतान मंडल (बोर्ड) द्वारा निर्धारित किसी तारीख को या मंडल (बोर्ड) के विवेकानुसार किसी तत्पश्चात् तारीख को किया जाएगा।

24. **मांग (कॉल) की सूचना** — भुगतान के समय का उल्लेख करते हुए प्रत्येक मांग (कॉल) के लिए कम से कम तीस दिन की सूचना दी जाएगी परंतु ऐसी मांग (कॉल) के भुगतान के समय से पहले शेयरधारकों को लिखित सूचना देकर मंडल मांग (कॉल) को रद्द कर सकता है।

25. **मांग (कॉल) का भुगतान करने के समय का विस्तार** — मंडल समय-समय पर तथा अपने विवेकानुसार शेयर धारकों के निवास की दूरी या किसी अन्य पर्याप्त कारण को ध्यान में रखते हुए मंडल (बोर्ड) समय-समय पर तथा अपने विवेकानुसार किसी या सभी शेयर धारकों के लिए किसी मांग (कॉल) का भुगतान करने के समय का विस्तार कर सकता है परंतु कोई भी शेयर धारक अधिकार स्वरूप ऐसे विस्तार का हकदार नहीं होगा।

26. **संयुक्त धारकों की देयताएं** — किसी शेयर के संयुक्त धारक संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग उस शेयर के संबंध में सभी मांग राशि (कॉल) अदा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

27. **लिखित समय पर या मांग (कॉल) के अनुसार किस्तों द्वारा देय राशि** — किसी शेयर के निर्गम की शर्तों के अनुसार या अन्यथा, यदि कोई राशि किसी निर्धारित समय पर या निर्धारित समयों पर किस्तों द्वारा देय है तो ऐसी प्रत्येक राशि या किस्त इस प्रकार देय होगी जैसे वह बोर्ड द्वारा यथाविधि की गई मांग (कॉल) हो तथा जिसकी उचित सूचना दी जा चुकी थी तथा मांगों (कॉल्स) के संबंध में यहां अंतर्विष्ट सभी प्रावधान ऐसी राशि या किस्त से तदनुसार सम्बद्ध होंगे।

28. **जब मांग (कॉल) या किस्त पर ब्याज देय हो** — यदि किसी मांग (कॉल) या किस्त के संबंध में देय राशि उसके भुगतान के लिए नियुक्त तारीख को या उससे पहले अदा नहीं की गई या किस्त देय हो उसके उस समय के धारक या आबंटित को भुगतान की नियुक्त तारीख से वास्तविक भुगतान तक की अवधि के लिए समय-समय पर मंडल (बोर्ड) द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज अदा करना होगा।

29. **शेयर धारकों द्वारा मांगों (कॉल्स) का भुगतान न करना** — किसी भी शेयर धारक को किसी लाभांश को प्राप्त करने या शेयर धारक के किसी अधिकार का प्रयोग करने का हक नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा एकल रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में धारित प्रत्येक शेयर की उस समय

देय तथा अदा करने योग्य सभी मांगे (कॉल्स) ब्याज लगाए गए या प्रभारित खर्चों के साथ अदा न कर दी गई हो।

30. **मांग या किस्त का भुगतान न करने पर सूचना** — यदि कोई शेयर धारक किसी शेयर के संबंध में मूलधन या ब्याज के रूप में किसी मांग (कॉल) या किस्त की सम्पूर्ण या आंशिक राशि या कोई अन्य राशि भुगतान के लिए नियुक्त तारीख को या उससे पहले अदा नहीं करता है तो मांग (कॉल) या किस्त या उसके किसी अंश के अप्रदत्त रहने या उसके संबंध में किसी अधिनिर्णय या डिक्री के पूर्ण रूप से या आंशिक रूप में अतुष्ट रहने के दौरान बैंक किसी भी समय उपचित ब्याज तथा ऐसा भुगतान न करने के कारण बैंक द्वारा प्रदत्त या वहन किए गए सभी खर्चों (कानूनी या अन्यथा) सहित ऐसी मांग (कॉल) या किस्त या उसके अंश या अप्रदत्त राशियों का भुगतान करने के लिए ऐसे शेयर धारक या प्रेषण द्वारा शेयर के हकदार व्यक्ति को सूचना प्रेषित कर सकता है।

31. **जब्ती की सूचना** — जब्ती की सूचना में सूचना की तारीख से कम से कम चौदह दिन बाद की तारीख तथा जगह या जगहों का उल्लेख होगा जहां ऐसी मांग (कॉल) या किस्त या उसके अंश या अन्य राशियों तथा ऐसे ब्याज एवं पूर्वोक्त खर्चों का भुगतान किया जाना है। सूचना में यह भी उल्लिखित होगा कि यदि नियुक्त स्थान पर नियुक्त समय को या उससे पहले भुगतान नहीं किया जाता है तो जिस शेयर के संबंध में मांग (कॉल) की गई थी या किस्त देय है, वे शेयर जब्त किए जाने के अधीन होंगे।

32. **चूक करने पर जब्त किए जाने वाले शेयर** — यदि पूर्वोक्त किसी सूचना की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया तो सभी मांगों (कॉल्स) या किस्तों, ब्याज तथा खर्चों या उसके संबंध में देय राशि का भुगतान न करने के कारण वे शेयर जिनके संबंध में सूचना दी जा चुकी है, तत्पश्चात् किसी भी समय उससे संबंधित मंडल के प्रस्ताव द्वारा जब्त कर लिए जाएंगे। ऐसी जब्ती में जब्त शेयरों के संबंध में घोषित सभी लाभांश सम्मिलित होंगे परंतु जब्ती से पहले वास्तविक रूप में प्रदत्त लाभांश शामिल नहीं होंगे।

33. **रजिस्टर में जब्ती की प्रविष्टि** — जब विनियम 32 के अंतर्गत कोई शेयर जब्त किया जाता है तो तारीख सहित जब्ती की प्रविष्टि रजिस्टर में की जाएगी।

34. **जब्त शेयर बैंक की संपत्ति होंगे तथा बेचे जा सकेंगे** — इस प्रकार जब्त शेयर बैंक की संपत्ति समझे जाएंगे तथा मंडल (बोर्ड) द्वारा निर्धारित शर्तों एवं तरीके से किसी भी व्यक्ति को बेचे, पुनः आबंटित या अन्यथा निपटाए जा सकते हैं।

35. **जब्ती को रद्द करने की शक्ति** — विनियम 32 के अंतर्गत इस प्रकार जब्त शेयरों के बेचे जाने, पुनः आबंटित किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने से पहले मंडल (बोर्ड) उपयुक्त शर्तों पर जब्ती रद्द कर सकता है।

36. **जब्ती के समय देय राशि तथा ब्याज अदा करने के लिए शेयरधारक उत्तरदायी** — जब्त किए गए शेयरों के शेयरधारक जब्ती के बावजूद शेयर जब्त किए जाने के समय से भुगतान किए जाने तक मंडल

(बोर्ड) द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज सहित सभी मांगों (कॉल्स), किस्तों, ब्याज, खर्चों तथा शेयरों की या शेयरों के संबंध में देय अन्य राशियों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी रहेंगे तथा तुरंत भुगतान करेंगे तथा मंडल (बोर्ड) संपूर्ण या उसके अंश के भुगतान को प्रवर्तित कर सकता है।

37. **आंशिक भुगतान जब्ती को प्रतिबाधित नहीं करेगा** — किसी शेयर के संबंध में मांग (कॉल्स) या देय राशियों के लिए बैंक के पक्ष में न तो किसी अधिनिर्णय या डिक्री से न उसके अंतर्गत किसी भुगतान या समाधान से न तो मूलधन या ब्याज द्वारा किसी शेयर के संबंध में समय-समय पर किसी शेयर धारक से प्राप्य राशि के अंश की बैंक द्वारा स्वीकृत किसी अनुग्रह से ऐसे शेयरों की जब्ती प्रतिबाधित नहीं होगी।

38. **शेयरों की जब्ती से बैंक के विरुद्ध सभी दावे समाप्त** — इन विलेखों द्वारा स्पष्ट रूप से छोड़े गए अधिकारों के अतिरिक्त, शेयरों की जब्ती से, जब्ती के समय शेयर के संबंध में सभी लाभ तथा बैंक के विरुद्ध सभी दावे एवं मांग तथा शेयर से प्रासंगिक अन्य अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

39. **बेचे जाने, पुनः निर्गमित किए जाने, पुनः आबंटित किए जाने या जब्ती के बाद बेचे जाने पर मूल शेयर अकृत और शून्य माने जाएंगे** —बिक्री, पुनः निर्गमित, पुनः आबंटित या पूर्वोक्त विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत बेचे गए सम्बद्ध शेयरों के संबंध में (यदि बैंक द्वारा मांग किए जाने पर चूककर्ता सदस्य द्वारा उन्हें पहले ही सुपुर्द न कर दिए गए हों) मूल रूप से जारी प्रमाणपत्र रद्द हो जाएंगे तथा अकृत एवं शून्य हो जाएंगे तथा अन्य कोई प्रभाव नहीं रहेगा, मंडल (बोर्ड) उन शेयरों के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को उक्त शेयरों के संबंध में नया प्रमाणपत्र जारी करने का हकदार होगा।

40. **जब्ती प्रावधानों का लागू होना** — शेयर के निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय पर देय किसी राशि का भुगतान न होने पर जब्ती के संबंध में इन विनियमों के प्रावधान लागू होंगे मानो वह राशि विधिवत् की गई मांग (कॉल) के द्वारा शेयर के अंकित मूल्य या प्रीमियम के रूप में देय होती।

41. **शेयरों का ग्रहणाधिकार (लियन)** —

i) बैंक का निम्नलिखित पर प्रथम एवं स्थाई ग्रहणाधिकार (लियन) रहेगा :-

क) प्रत्येक शेयर पर (जो पूर्णतः प्रदत्त शेयर नहीं है) उस शेयर के संबंध में मांगी गयी या निर्धारित समय पर देय सभी राशियों के लिए (चाहे वे वर्तमान में देय हैं या नहीं)

ख) एकल व्यक्ति के नाम में पंजीकृत सभी शयरों पर (जो पूर्णतः प्रदत्त शेयर नहीं है) उसके या उसकी संपत्ति द्वारा बैंक को वर्तमान में देय सभी राशियों के लिए

ग) प्रत्येक व्यक्ति के नाम में पंजीकृत सभी शेयरों पर (चाहे एकल या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से) तथा एकल या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उसके ऋणों, देयताओं तथा आबन्धों के लिए शेयरों की बिक्री की प्राप्तियों पर, चाहे उनके भुगतान, पालन या चुकाने की अवधि वास्तव में आ चुकी है या नहीं तथा बैंक के ग्रहणाधिकार (लियन) पर किसी शेयर में साम्यिक हित बैंक द्वारा मान्य नहीं किया जाएगा।

बशर्ते निदेशक मंडल ने किसी समय किसी शेयर को पूर्णत: या अंशत: इस खंड के प्रावधानों से छूट दी हो।

ii) किसी शेयर पर देय सभी लाभांशों पर बैंक का ग्रहणाधिकार (लिएन) यदि कोई हो, प्रभावी रहेगा।

42. शेयरों की बिक्री से ग्रहणाधिकार का प्रवर्तन —

i) मंडल (बोर्ड) जैसा उचित समझे उस तरीके से बैंक ऐसे शेयर बेच सकता है जिस पर कंपनी का ग्रहणाधिकार (लियन) हो

क) जिस राशि के संबंध में ग्रहणाधिकार है वह राशि वर्तमान में देय है, और

ख) जिस राशि के संबंध में ग्रहणाधिकार है तथा वर्तमान में देय है उस के भुगतान का उल्लेख एवं मांग करते हुए शेयर के उस समय पंजीकृत धारक या उसकी मृत्यु या दिवालिएपन के कारण उस शेयर के हकदार व्यक्ति को दी गयी लिखित सूचना के चौदह दिन बाद

ii) ऐसी बिक्री को प्रभावी करने के लिए मंडल (बोर्ड) शेयर के खरीददार को बेचे गए शेयरों का हस्तांतरण करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है।

43. शेयरों की बिक्री की प्राप्तियों का उपयोग — विनियम 42 के अंतर्गत बेचे गए शेयरों की प्राप्तियों में से बिक्री का लागत घटाने के बाद निवल प्राप्तियों का उपयोग उस ऋण या देयता के समाधान के लिए किया जाएगा जिसके संबंध में ग्रहणाधिकार है और वर्तमान में वे जहां तक देय है तथा यदि कोई शेष राशि हो तो वह बेचे गए शेयरों के शेयरधारकों या प्रेषण द्वारा हकदार व्यक्ति को अदा की जाएगी।

44. जब्ती का प्रमाणपत्र — ऐसे शेयरों के हकदार सभी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रमाणपत्र में उल्लिखित तथ्यों का निश्चायक प्रमाण वह प्रमाणपत्र होगा जो किसी निदेशक या इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत बैंक के किसी अधिकारी के हस्ताक्षरों सहित लिखित रूप में होगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि शेयर के संबंध में मांग की गयी थी और शेयर की जब्ती उसके संबंध में मंडल (बोर्ड) के प्रस्ताव द्वारा की गयी थी।

45. जब्त शेयरों के खरीददार तथा आबंटिती का अधिकार — शेयर की बिक्री, पुन: आबंटन या उसके अन्य प्रकार से निबटान के लिए प्रतिफल यदि कोई हो, बैंक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा वह व्यक्ति जिसे ऐसे शेयर बेचे, पुन: आबंटित या प्रायोजित किए गए हैं उसे शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जाए तथा वह व्यक्ति प्रतिफल का विनियोग यदि कोई हो, देखने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा शेयर की जब्ती, बिक्री, पुन: आबंटन या अन्य निपटान के संदर्भ में कार्यवाहियों में अनियमितता या अवैधता से शेयर पर उसका अधिकार प्रभारित नहीं होगा, तथा बिक्री द्वारा अपकृत किसी व्यक्ति की प्रतिविधि केवल हरजाने के रूप में और सिर्फ बैंक के विरुद्ध होगी।

46. शेयरधारकों को सूचना या दस्तावेज की तामील —

i) बैंक किसी भी शेयरधारक को व्यक्तिगत रूप से या उसके पंजीकृत पते पर साधारण डाक द्वारा या यदि भारत में कोई पंजीकृत पता न हो तो सूचना देने के लिए उसके द्वारा दिए गए भारत के किसी पते पर सूचना या दस्तावेज तामील कर सकता है।

ii) जहां दस्तावेज या सूचना डाक द्वारा भेजी गयी है वहां उचित प्रकार से पता लिखने, पूर्व भुगतान तथा दस्तावेज या सूचना सहित पत्र प्रेषित करने से ऐसे दस्तावेज या सूचना की तामील प्रभावी मानी जाएगी।

परंतु, जहां शेयरधारक ने बैंक को अग्रिम रूप में सूचित किया हो कि उसे दस्तावेज डाक प्रमाणपत्र या पावती सहित या बिना पावती के पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएं और ऐसा करने में होने वाले खर्च की अदायगी के लिए उसने पर्याप्त राशि बैंक के पास जमा की हो तो दस्तावेज या सूचना की तारीख तब तक प्रभावी नहीं मानी जाएगी जब तक कि उसे शेयर धारक द्वारा उचित तरीके से नहीं भेजा जाता है तथा सभी की सूचना के मामले में, सूचना का पत्र डाक में प्रेषित किए जाने के बाद अड़तालिस घंटे की समाप्ति पर ऐसी तामील प्रभावी मानी जाएगी तथा किसी अन्य मामले में उस समय मानी जाएगी जब पत्र डाक की सामान्य प्रक्रिया में सुपुर्द हो जाता है।

iii) बैंक के वे शेयरधारक जिनका भारत में कोई पंजीकृत पता नहीं है और जिन्होंने सूचना देने के लिए भारत का कोई पता बैंक को नहीं दिया है, ऐसे प्रत्येक शेयरधारक पर भारत में विस्तृत तौर पर प्रसारित होने वाले किसी अखबार में विज्ञापित कोई सूचना या दस्तावेज उस दिन यथाविधि तामील माने जाएंगे जिस दिन विज्ञापन प्रकाशित होगा।

iv) शेयर के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित संयुक्त धारक पर बैंक द्वारा सूचना या दस्तावेज की तामील की जा सकती है और तामील को प्रभावी बनाया जा सकता है तथा इस प्रकार दी गयी सूचना उक्त शेयरों के सभी धारकों के लिए पर्याप्त सूचना होगी।

v) शेयर धारकों की मृत्यु या दिवालिएपन के कारण शेयर के हकदार व्यक्तियों को बैंक द्वारा सूचना या दस्तावेज की तामील उनके नाम से या मृत व्यक्ति के प्रतिनिधियों के शीर्षक से या दिवालिए के समनुदेशितियों को या इसी प्रकार के विवरण से संबोधित पूर्व प्रदत्त पत्र डाक द्वारा भारत के उस पते पर यदि कोई हो, की जाएगी जो इस प्रकार हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस प्रयोजनार्थ दिया गया हो या जब तक ऐसा पता इस प्रकार नहीं दिया जाता दस्तावेज की तामील ऐसे किसी भी प्रकार से की जाएगी जैसे मृत्यु या दिवालियापन न होने पर की जाती।

vi) बैंक द्वारा दी जाने वाली किसी सूचना पर हस्ताक्षर लिखित या मुद्रित हो सकते हैं।

.....

निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) में धारित बैंक की प्रतिभूतियाँ

47. **निक्षेपागार तथा बैंक के बीच करारनामा** — बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों के संबंध में उनकी सेवाएं लेने के लिए बैंक एक या अधिक निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) से करार कर सकता है।

48. **सहभागी तथा निक्षेपागार के बीच करारनामा** —

i) कोई भी सहभागी निक्षेपागार के अभिकर्ता (एजेंट) के रूप में कार्य करने के लिए करार कर सकता है। जिस निक्षेपागार के साथ करार किया जाएगा वह ऐसा निक्षेपागार होगा जिसकी सेवाएं लेने के लिए बैंक विनियम 47 के अंतर्गत सहमत हुआ है।

ii) बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों के संबंध में निक्षेपागार की सेवाएं लेने के लिए ऐसे निक्षेपागार द्वारा निर्धारित फॉर्म में सहभागी के माध्यम से निक्षेपागार के साथ करार कर सकता है।

49. **प्रतिभूति का प्रमाणपत्र सौंपना** —

i) बैंक का कोई शेयरधारक या बैंक की किसी प्रतिभूति का धारक बैंक को उस प्रतिभूति का प्रमाणपत्र सौंप देगा जिसके संबंध में उसने निक्षेपागार की सेवाएं लेने के लिए उपरोक्त विनियम 48 के अंतर्गत करार किया है।

ii) उपरोक्त उप विनियम (i) के अंतर्गत प्रतिभूति का प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर बैंक प्रतिभूति का प्रमाणपत्र रद्द कर देगा और अपने अभिलेख में उस प्रतिभूति के संबंध में निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) का नाम पंजीकृत मालिक के रूप में दर्ज करेगा और निक्षेपागार को तद्नुसार सूचित करेगा।

iii) उपर्युक्त विनियम (ii) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर निक्षेपागार ऊपर उप विनियम (i) में संदर्भित व्यक्ति का नाम अपने अभिलेख में हिताधिकारी मालिक के रूप में दर्ज करेगा।

50. **निक्षेपागार में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण का पंजीकरण** — हस्तांतरण प्रभावी करने की सूचना बैंक से प्राप्त होने पर प्रत्येक निक्षेपागार हस्तांतरिती के नाम में प्रतिभूतियों का हस्तांतरण पंजीकृत करेगा।

51. **प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने या निक्षेपागार में प्रतिभूति रखने का विकल्प** —

i) बैंक द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों के लिए अभिदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने या निक्षेपागार में प्रतिभूति रखने का विकल्प होगा।

ii) जब कोई व्यवित प्रतिभूति को निक्षेपागार में रखने का विकल्प देता है तो बैंक प्रतिभूतियों के आबंटन के विवरण की सूचना ऐसे निक्षेपागार को देगा तथा ऐसी सूचना प्राप्त होने पर निक्षेपागार अपने रजिस्टर में आबंटिती का नाम उस प्रतिभूति के हिताधिकारी मालिक के रूप में दर्ज करेगा।

52. **निक्षेपागार में प्रतिभूतियां समरूप स्वरूप में होगी** — निक्षेपागार द्वारा धारित सभी प्रतिभूतियों का भौतिक स्वरूप परिवर्तित किया जाएगा और वे समरूप स्वरूप में होंगी।

53. **हिताधिकारी मालिक के अधिकार** — निक्षेपागार द्वारा धारित प्रतिभूतियों के संबंध में हिताधिकारी मालिक सभी अधिकारों एवं लाभ का हकदार होगा एवं सभी देयताओं के अधीन होगा।

54. **हिताधिकारी मालिक का रजिस्टर** —

i) प्रत्येक निक्षेपागार, निक्षेपागार द्वारा धारित बैंक की प्रतिभूतियों के संबंध में निक्षेपागार अधिनियम, 1996 या सेबी द्वारा निर्धारित स्वरूप में हिताधिकारी मालिकों की रजिस्टर एवं सूची रखेगा।

ii) निक्षेपागार बैंक द्वारा निर्धारित अंतरालों पर अपने द्वारा रखी गयी हिताधिकारी मालिकों के रजिस्टर एवं सूची की अद्यतन प्रति बैंक को प्रस्तुत करेगा।

55. **किसी प्रतिभूति के संबंध में बाहर जाने का विकल्प** —

i) यदि हिताधिकारी मालिक किसी प्रतिभूति के संबंध में निक्षेपागार से बाहर जाने का विकल्प चाहता है तो वह निक्षेपागार को तदनुसार सूचित करेगा।

ii) उपर्युक्त उप विनियम (i) के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त होने पर निक्षेपागार अपने अभिलेखों में उचित प्रविष्टियां करेगा और बैंक को सूचित करेगा।

iii) निक्षेपागार से सूचना प्राप्त होने से 30 (तीस) दिन के भीतर तथा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड निक्षेपागार एवं सहभागी विनियम 1996 और/या निक्षेपागार अधिनियम 1996 की शर्तों को पूरा करने एवं निर्धारित शुल्क के भुगतान पर बैंक मामले के अनुसार हिताधिकारी मालिक या हस्तांतरिती को प्रतिभूति का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

.....

शेयरधारकों की सभा

56. सामान्य वार्षिक सभा आयोजित किए जाने की सूचना —

i) शेयरधारकों की सामान्य वार्षिक सभा आयोजित किए जाने की सूचना अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या बैंक के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी और भारत में व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में सभा की तारीख से कम से कम स्पष्ट 21 दिन पहले प्रकाशित की जाएगी।

ii) ऐसी प्रत्येक सूचना में ऐसी सभा का समय, तारीख एवं स्थान के साथ-साथ सभा में किए जाने वाले व्यवहारों का उल्लेख होगा।

iii) ऐसी सभा का समय एवं तारीख मंडल (बोर्ड) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसी सभा बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

57. अतिरिक्त सामान्य सभा —

i) मंडल (बोर्ड) द्वारा निर्देशित किए जाने पर या केन्द्र सरकार से या सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार का कम से कम कुल 10 प्रतिशत शेयर रखने वाले शेयरधारकों से ऐसी सभा आयोजित करने के लिए मांग प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कोई एक निदेशक शेयरधारकों की विशेष सभा आयोजित कर सकता है।

ii) उप-विनियम (i) में संदर्भित मांग में उस प्रयोजन का उल्लेख होगा जिसके लिए विशेष सभा आयोजित किए जाने की आवश्यकता है लेकिन उसमें समान स्वरूप के कई दस्तावेज हो सकते हैं जिसमें से प्रत्येक दस्तावेज एक या अधिक मांगकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

iii) जब कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हों तो उनमें से एक या कुछ के द्वारा हस्ताक्षरित मांग या सभा बुलाने की सूचना इस विनियम के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार मान्य व प्रभावी होगी जैसे वह उन सभी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

iv) विशेष सभा का समय, तारीख एवं स्थान का निर्धारण मंडल (बोर्ड) द्वारा किया जाएगा परंतु केन्द्र सरकार या अन्य शेयरधारक की मांग पर आयोजित की जाने वाली विशेष सभा मांग प्राप्त होने के 45 दिनों बाद आयोजित नहीं की जा सकेगी।

v) उप-विनिमय (iv) के उपबन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर अधिनियम (i) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार यदि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में मामले के अनुसार कार्यपालक

निदेशक सभा आयोजित नहीं करता है तो मांग की तारीख से तीन माह के भीतर मांगकर्ताओं द्वारा स्वयं सभा बुलाई जा सकती है।

परंतु, इस विनियम की किसी भी बात से यह नहीं माना जाएगा कि उपरोक्त तीन माह की अवधि की समाप्ति से पहले यथाविधि आयोजित किसी सभा को उस अवधि की समाप्ति के बाद किसी दिन के लिए स्थगित करने से रोका जा सकता है।

vi) विनियम (v) के अंतर्गत मांगकर्ताओं द्वारा बुलाई गई सभा जहां तक संभव हो, तकरीबन उसी प्रकार से बुलाई जाएगी जैसे अन्य सामान्य सभाएं मंडल (बोर्ड) द्वारा बुलाई जाती हैं।

58. सामान्य सभा का कोरम —

i) शेयर धारकों की किसी भी सभा में कोई व्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी सभा में मत (वोट) देने के हकदार शेयरधारकों का कम से कम पांच शेयरधारकों का कोरम ऐसे व्यवहार के प्रारंभ के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति न हो।

ii) केन्द्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों द्वारा बुलाई गयी सभा के मामले में, यदि सभा आयोजित करने के लिए नियत समय के बाद आधे घंटे के भीतर यदि कोरम उपस्थित नहीं है तो सभा विसर्जित मानी जाएगी।

iii) किसी अन्य मामले में, यदि सभा आयोजित करने के लिए निर्धारित समय के बाद आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं है तो सभा अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय तथा स्थान पर या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित ऐसे किसी अन्य दिन या अन्य समय या स्थान पर स्थगित मानी जाएगी। यदि स्थगित सभा को आयोजित करने के लिए निर्धारित समय से आधा घंटे के भीतर कोरम उपस्तित नहीं है तो धारक व्यक्तिगत रूप से या प्रतिपत्र द्वारा या विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित शेयरधारक ऐसी स्थगित सभा का कोरम होंगे तथा से व्यवहार करेंगे जिसके लिए सभा बुलाई गयी थी :

परन्तु कोई सामान्य वार्षिक सभा उस तारीख से बाद की तारीख को स्थगित नहीं की जाएगी जिस तारीख के भीतर अधिनियम की धारा 10ए (1) की शर्तों के अनुसार सामान्य वार्षिक सभा आयोजित की जाएगी और यदि आगामी सप्ताह में उसी दिन को स्थगित सभा पर इसका प्रभाव पड़ता है तो सामान्य वार्षिक सभा स्थगित नहीं की जाएगी परंतु यदि कोरम उपस्थित है तो सभा के लिए नियत समय से एक घंटे के भीतर या उस समय से एक घंटे की समाप्ति के तत्काल बाद सभा का व्यवहार प्रारंभ हो जाएगा तथा वे शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से या प्रतिपत्र द्वारा या विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित शेयरधारक ऐसे समय पर कोरम बनाएंगे।

59. सामान्य सभा का अध्यक्ष —

i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सामान्य तौर पर या किसी विशेष सभा के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध

निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई एक निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में, इस संबंध में कार्यपालक निदेशक सभा के अध्यक्ष होंगे तथा यदि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य निदेशक उपस्थित नहीं है तो सभा, उपस्थित किसी अन्य निदेशक को सभा का अध्यक्ष चुन सकती है।

ii) सामान्य सभा का अध्यक्ष सामान्य सभाओं में प्रक्रिया को विनियमित करेगा तथा शेयरधारकों द्वारा सभा को संबोधित करने के क्रम का निर्धारण करने, भाषण के लिए समय सीमा तय करने, जब उसकी राय में मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी हो तो मामले पर बंदी लागू करने तथा सभा स्थगित करने का उसे विशेष तौर पर अधिकार रहेगा।

60. सामान्य सभा में उपस्थित रहने के हकदार व्यक्ति —

i) उप विनियम (ii) के प्रावधानों के अधीन सभी निदेशक तथा सभी शेयरधारक सामान्य सभा में उपस्थित रहने के हकदार होंगे।

ii) सामान्य सभा में उपस्थित रहने वाले शेयरधारक (जो केन्द्र सरकार नहीं हो) या निदेशक को पहचान के प्रयोजनार्थ तथा अपने मताधिकार के निर्धारण के लिए एक फॉर्म हस्ताक्षर कर बैंक को देना होगा जिसमें निम्नलिखित से संबंधित विवरण अध्यक्ष द्वारा दिए जाएंगे :

क) उसका पूरा नाम तथा पंजीकृत पता

ख) उसके शेयरों की विशिष्ट संख्या

ग) क्या वह मत देने का हकदार है और उन मतों की संख्या जिनका वह व्यक्तिगत तौर पर या प्रतिपत्र द्वारा या विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हकदार है।

61. सामान्य सभाओं में मतदान —

i) किसी सामान्य सभा में, सभा के मतदान के अधीन प्रस्ताव का निर्धारण हाथ उठाकर किया जाएगा जब तक कि मतगणना की मांग न की जाए।

ii) अधिनियम में अन्यथा प्रावधानित को छोड़कर सामान्य सभा में प्रस्तुत प्रत्येक मामले का निर्णय बहुमत से किया जाएगा।

iii) प्रस्ताव को हाथ उठाकर या सर्वसम्मति से या विशेष बहुमत से मान लिए जाने संबंधित सभा अध्यक्ष की घोषणा और सभा की कार्यवाही का कार्यवृत्त दर्शानेवाली बही में इससे संबंधित प्रविष्टि, ऐसे प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या या अनुपात के सबूत बिना तथ्य का निश्चायक प्रमाण होगी जब तक कि उप विनियम (i) के अंतर्गत मतगणना की मांग न की जाए।

iv) किसी प्रस्ताव पर हाथ उठाकर मतदान करने के परिणाम की घोषणा के पहले या घोषणा करने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा स्वयं के प्रस्ताव से मतगणना का आदेश दिया जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित किसी शेयरधारक या शेयरधारकों द्वारा इस संबंध में मांग किए जाने पर उसके द्वारा मतगणना किए जाने का आदेश दिया जाएगा तथा बैंक के शेयरधारक

होने से प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार रखने वाले शेयरधारकों की संख्या प्रस्ताव के संबंध में कुल मत शक्ति से 1/5 से कम न हो।

v) मतगणना की मांग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी भी समय मांग वापस ली जा सकती है।

vi) सभा के स्थगन या सभा के अध्यक्ष के चुनाव के सवाल पर मतगणना की मांग तत्काल मानी जाएगी।

vii) किसी अन्य सवाल पर मतगणना की मांग, पर अध्यक्ष द्वारा निर्देशित समय पर मानी जाएगी परंतु वह समय मांग किए जाने से 48 घंटे के भीतर होगा।

viii) किसी व्यक्ति की मत देने की योग्यता के संबंध में तथा मतगणना के मामले में किसी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किए जाने योग्य मतों की संख्या के संबंध में सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

62. सामान्य सभा का कार्यवृत्त —

i) बैंक सभी कार्यवाहियों का कार्यवृत्त इस प्रयोजनार्थ रखी गयी बहियों में दर्ज करेगा।

ii) जिस सभा में कार्यवाही की गयी हो उस सभा के अध्यक्ष द्वारा या अगली सभा के अध्यक्ष द्वारा यदि किसी सभा का कार्यवृत्त हस्ताक्षरित प्रतीत होता हो तो ऐसा कार्यवृत्त कार्यवाही का प्रमाण होगा।

iii) जबतक कि विपरीत सिद्ध न किया जाए कार्यवाहियों के इस प्रकार बताए गए कार्यवृत्त के संबंध में प्रत्येक सामान्य सभा विधिवत बुलाई गई एवं आयोजित मानी जाएगी तथा उससे की गयी सभी कार्यवाहियां विधिवत की गयी मानी जाएगीं।

.....

निदेशकों का चुनाव

63. सामान्य सभा में निदेशकों का चुनाव किया जाना —

i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत बैंक की साधारण सभा में केन्द्र सरकार को छोड़कर रजिस्टर में दर्ज शेयरधारकों द्वारा उनमें से ही निदेशक का चुनाव किया जाएगा।

ii) जब किसी सभा में निदेशक का चुनाव किया जाता है तो सभा आयोजित करने की सूचना में उसकी सूचना भी सम्मिलित की जाएगी। ऐसी प्रत्येक सूचना में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा उन पदों के विवरण का उल्लेख होगा जिसके संबंध में चुनाव किया जाना है।

64. शेयरधारकों की सूची —

i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव के प्रयोजनार्थ रजिस्टर में दर्ज उन शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाता है।

ii) सूची में शेयरधारकों के नाम, पंजीकृत पते, शेयरों की संख्या तथा उनके निर्दिष्ट क्रमांक, शेयरों के पंजीकरण की तारीख तथा जिस सभा में चुनाव किया जाना है उसके लिए निर्धारित तारीख को उनके मतों की संख्या का उल्लेख होगा तथा सूची की प्रतियां प्रबंधन समिति के मंडल (बोर्ड) द्वारा निर्धारित कीमत पर सभा के लिए निश्चित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले प्रधान कार्यालय में आवेदन करने पर खरीदी जा सकेगी।

65. चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन —

i) निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए किसी प्रत्याशी का कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हो।

क) वह बैंक में 100 शेयरों का शेयरधारक हो

ख) नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को अधिनियम या योजना के अंतर्गत उसे निदेशक होने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।

ग) उसके द्वारा अकेले या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से धारित शेयरों के संबंध में मांग के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को या उससे पहले उसने सभी मांग (कॉल) का भुगतान कर दिया हो।

घ) नामांकन लिखित रूप में हो तथा अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों का चयन करने के लिए हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों द्वारा या उनके विधिवत नियत एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु कंपनी के रूप में शेयरधारक द्वारा नामांकन किया गया हो तो जिस सभा में

प्रस्ताव पारित हुआ तो उस सभा के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रस्ताव की सत्य प्रतिलिपि बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाएगी तथा ऐसी प्रतिलिपि को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

ङ) नामांकन के साथ या नामांकन में न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्योरेन्सेस के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़े होने का इच्छुक है और अधिनियम या योजना या इन विनियमों के अंतर्गत उसे निदेशक बनने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

ii) कोई भी नामांकन तबतक वैध नहीं होगा जब तक कि नामांकन के साथ सभी तरह से पूर्ण सभी संबंधित दस्तावेज सभा के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले किसी कार्य दिवस के बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाते।

66. नामांकनों की जांच —

i) नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित तारीक के बाद पहले कार्य दिवस को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामंकन वैध नहीं होगा तो उसके कारणों को दर्ज करते हुए नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। चुनाव द्वारा भरे जाने के लिए किसी विशेष पद के लिए यदि केवल एक नामांकन वैध है तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय चुना हुआ मान लिया जाएगा तथा इस प्रकार चुने जाने के लिए उसका नाम तथा पता प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे मामले में इस प्रयोजनार्थ आयोजित सभा में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि केवल उपरोक्त चुनाव के प्रयोजनार्थ बुलाई गयी हो तो वह रद्द समझी जाएगी।

ii) चुनाव होने की स्थिति में यदि नामांकनों की संख्या चुने गए निदेशकों की संख्या से अधिक है तो बहुमत प्राप्त करने वाले निदेशक को निर्वाचित मान लिया जाएगा।

iii) विद्यमान रिक्त पद को भरने हेतु चयनित निदेशक उनके चयन के दिनांक के परवर्ती दिन से कार्य-भार प्राप्त या जिस दिन वे चयनित हुए हों उस दिन से कार्य-भार प्राप्त समझे जाएंगे।

67. चुनाव विवाद —

i) निर्वाचित घोषित या निर्वाचित समझे जाने वाले व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता के संबंध में या निदेशक के चनाव के संबंध में कोई शंका या विवाद उत्पन्न होता है तो कोई भी सम्बद्ध व्यक्ति, जो प्रत्याशी या ऐसे चुनाव में मत देने का हकदार शेयरधारक हो, ऐसे चुनाव का परिणाम घोषित होने के सात दिन के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को उसकी सूचना लिखित रूप में देगा तथा उक्त सूचना में उन सभी कारणों का संपूर्ण विवरण देगा जिसके आधार पर वह चुनाव की वैधता को शंकास्पद या विवादास्पद मानता है।

ii) उप विनियम (i) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक तत्काल ऐसी शंका या विवाद उस समिति के पास निर्णय हेतु भेजेंगे जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक तथा अधिनियम की धारा 9 उप धारा (3) खंड (ख) एवं (ग) के अंतर्गत नामित कोई दो निदेशक होंगे।

iii) उप-विनियम (ii) में संदर्भित समिति आवश्यकतानुसार जाँच करेगी तथा यदि समिति का यह निष्कर्ष है कि चुनाव वैध था तो वह चुनाव के घोषित परिणामों की पुष्टि करेगी तथा यदि समिति का निष्कर्ष है कि चुनाव वैध नहीं है तो जाँच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर समिति को उचित लगने वाली परिस्थितियों में नए चुनाव कराने का आदेश और निर्देश समिति देगी।

iv) विनिमय के अनुपालन में इस समिति का आदेश तथा निर्देश अंतिम होगा।

.....

शेयरधारकों का मताधिकार

68. मताधिकार का निर्धारण —

i) अधिनियम की धारा 3(2ड) के प्रावधानों के अधीन, सामान्य सभा की तारीख से पहले रजिस्टर बंद होने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयर धारक के पास ऐसी सभा में हाथ उठाने के लिए एक मत होगा तथा मतगणना के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा।

ii) धारा 3(23) के प्रावधानों के अधीन व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित उपरोक्तानुसार मत देने के हकदार प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी नहीं है, के पास या कंपनी जो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित है, के पास हाथ उठाने के लिए एक मत होगा तथा मत गणना के मामले में उप विनियम (i) में उल्लेख किए गए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा।

स्पष्टीकरण : इस अध्याय के लिए "कंपनी" का तात्पर्य निगमित निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) से है।

iii) सामान्य सभा में उपस्थित रहने तथा मत देने के हकदार बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति (जो शेयर धारक हो या न हो) को अपने बदले उपस्थित रहने तथा मत देने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैं परंतु इस प्रकार नियुक्त किसी प्रतिनिधि को सभा में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

69. विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान —

i) शेयरधारक यदि केन्द्र सरकार हो या कोई कंपनी हो तो वह मामले के अनुसार एक प्रस्ताव द्वारा अपने किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की सामान्य सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकती है तथा इस प्रकार अधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित) केन्द्र सरकार या जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व करता है उस कंपनी की ओर से वैसी शक्ति को प्रयुक्त करने का हकदार होगा जैसे वह बैंक का कोई एकल शेयर धारक हो। दो व्यक्तियों के पक्ष में पर्यायी रूप से इस प्रकार से अनुमोदन किया जा सकता है तथा ऐसे मामले में इनमें से कोई भी व्यक्ति केन्द्र सरकार / कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।

ii) बैंक के शेयर धारकों को किसी सभा में कोई व्यक्ति विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित नहीं होगा या मतदान नहीं करेगा जब तक कि जिस सभा में उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनधि के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, उस सभा के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रस्ताव की सत्यापित प्रतिनिधि सभा के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम 4 दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न की दी गयी हो।

70. प्रतिनिधि (प्रौक्सी) —

i) प्रतिनिधि के संबंध में कोई भी विलेख तब तक वैध नहीं होगा जब तक एकल शेयरधारक के मामले में, वह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके एटॉर्नी द्वारा या संयुक्त धारकों के मामले में वह रजिस्टर में नामित पहले शेयरधारक या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके एटॉर्नी द्वारा या निगमित निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) के मामले में उसके अधिकारी या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत एटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

परंतु यदि कोई शेयरधारक किसी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो और यदि प्रतिनिधि विलेख पर उसका चिह्न अंकित किया गया हो तथा न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो, तो वह प्रतिनिधि विलेख किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माना जाएगा।

ii) कोई भी प्रतिनिधि पत्र तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उस पर विधिवत टिकट न लगा हो तथा उसकी एक प्रति पॉवर ऑफ एटॉर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत वह हस्ताक्षरित है या पावर ऑफ एटार्नी की प्रतियां अन्य प्राधिकार की नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित सत्य प्रतिलिपि के साथ सभा के लिए निर्धारित तारीख से कम के कम चार दिन पहले बैंक के मुख्य कार्यालय में जमा न कर दी जाए यदि ऐसी पॉवर ऑफ एटॉर्नी या अन्य प्राधिकार बैंक के पास पहले ही जमा और पंजीकृत न किया गया हो।

iii) प्रतिनिधि का कोई विलेख तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह फॉर्म "ख" में न हो।

iv) बैंक के पास जमा किया गया प्रतिनिधि विलेख अप्रतिसंहार्य (इरिवोकेबल) तथा अंतिम होगा।

v) यदि प्रतिनिधि विलेख पर्यायी रूप से दो ग्राहियों (ग्रान्टीस) के पक्ष में दिया गया हो तो एक फॉर्म से अधिक निष्पादित नहीं किया जाएगा।

vi) इस विनियम के अंतर्गत प्रतिनिधि विलेख देने वाला उस सभा में व्यक्तिगत रूप से मत देने का हकदार नहीं होगा जिस सभा से विलेख संबंधित है।

vii) बैंक के अधिकार या कर्मचारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

.....

यूको बैंक

फार्म - "क"

शेयर हस्तांतरण फॉर्म

(विनियम 17 का उप विनियम (I) देखें)

नीचे उल्लिखित प्रतिफल के लिए यहां नामित "हस्तांतरक नीचे विनिर्दिष्ट शेयर यहां नामित "हस्तांतरितियों" को एतद्द्वारा उन शर्तों के अधीन हस्तांतरित करते हैं जिन शर्तों पर उक्त शेयर अब हस्तांतरक(कों) द्वारा धारित है तथा "हस्तांतरिती" पूर्वोक्त शर्तों के अधीन उक्त शेयर स्वीकार करने और रखने के लिए एतद्द्वारा सहमत हैं।

कंपनी का पूरा नाम

मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां लेन-देन किया गया, यदि कोई हो

इक्विटी शेयरों का विवरण :

सं. आंकड़ों में	संख्या शब्दों में	प्रतिफल (आंकड़ों में)	प्रतिफल (शब्दों में)

विशिष्ट संख्याएं से

तक

संबंधित प्रमाणपत्र सं.

हस्तांतरक (कों) विक्रेता (ओं) का विवरण	रजि. फोलियो नं.	हस्ताक्षर
पूरा नाम	1. _____	1. _____
	2. _____	2. _____
	3. _____	3. _____
	4. _____	4. _____

फार्म – "क" *जारी*

अनुप्रमाणन

मैं एतद्द्वारा यहां उल्लिखित हस्तांतरक(कों) के अनुप्रमाणित करता हूँ

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पता / मुहर _____

_____

गवाह के हस्ताक्षर _____

गवाह का नाम एवं पता

_____

_____

_____

_____ पिन _____

हस्तांतरिती (तियों) का पूरा नाम	खरीदार(रों) का विवरण	हस्ताक्षर
	1. _____	1. _____
	2. _____	2. _____
	3. _____	3. _____

व्यवसाय	पता	पिता/पति का नाम
1.		
2.		
3.		

नामों के समान क्रम में
हस्तांतरिती(तियों) का
विद्यमान फोलियो, यदि कोई हो_____

चिपकाए गए
टिकटों का मूल्य _____

आज तारीख_____ माह_____ दो हजार_____

_____स्थान_____

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु

जाँचकर्ता _____

हस्ताक्षर के मिलान कर्ता

_____

हस्तांतरण रजिस्टर सं.
में दर्ज किया गया _____

अनुमोदन की तारीख _____

फोलियो : कंपनी कोड :

हस्तांतरिती (तियों) के नमूना हस्ताक्षर
1. _____
2. _____
3. _____

फार्म - "क" (जारी...)

अनुप्रमाणन हेतु अनुदेश :

आवश्यकता पड़ने पर (अंगूठे का निशान, चिन्ह, हस्ताक्षर में अंतर इत्यादि) मैजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी या अपने कार्यालय की मुहर का उपयोग करने के लिए अधिकृत सार्वजनिक कार्यालय के इसी प्रकार के अधिकारी या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य जिसके माध्यम में शेयर प्रस्तुत हुए हों या हस्तांतरक के बैंक के प्रबंधक द्वारा अनुप्रमाणन किया जाए।

नोट : नाम रबड़ की मुहर में अधिमानतः सीधी रेखा में होना चाहिए। काल क्रम को बनाए रखा जाए। जब सुपुर्दगी (डिलीवरी) समाशोधन सदस्य बैंक द्वारा दी जाए तो दलाल की समाशोधन संख्या का उल्लेख किया जाए।

सुपुर्द करने वाले दलाल का नाम या समाशोधन सं. ________

दिनांक ________

मुख्तारनामा / प्रोबेट / मृत्यु प्रमाणपत्र / प्रशासन पत्र
बैंक के साथ पंजीकृत सं.________________ तारीख ________________ दलाल, बैंक, कंपनी या स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन गृह के हस्ताक्षर (लघु हस्ताक्षर नहीं)

जमाकर्ता : ________________________

पूरा पता : ________________________

____

____

शेयर प्रमाणपत्र निम्न को वापस किया जाए
(जिसे प्रमाणपत्र वापस किया जाना है उसका नाम एवं पता भरें)

नाम एवं पता : ________________________

____

शेयर हस्तांतरण टिकट

यूको बैंक

फार्म—"ख"

प्रतिनिधि का फार्म

[विनियम 70 का उप विनियम (III) देखें]

फोलियो संख्या .....

(शेयरधारक द्वारा भरा जाए)

मैं/हम .....राज्य में .....

..... जिले के निवासी जो यूको बैंक का/के शेयर धारक हूं/हैं, एतद्द्वारा .....राज्य में .....

जिले के निवासी श्री .....को या उनके असमर्थ होने पर .....राज्य में .....जिले के निवासी श्री .....

को दिनांक .....माह .....19 ..... को आयोजित होने वाली शेयर धारकों की सभा और उसके स्थगन में मेरी/हमारे लिए और मेरे/हमारी ओर से मतदान करने के लिए अपना/हमारा प्रतिनिधि नियुक्त करता हूं/करते हैं।

दिनांक ..... माह ..... 20 .....

नाम .....

पता .....

.....

राजस्व टिकट लगाएं

दी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाऊन्टेंट्स आफ इण्डिया

नई दिल्ली–110002, दिनांक 11 नवम्बर 1999

सं० 13–सी० ए (परीक्षा) डी 99—इंस्टीट्यूट की अधिसूचना संख्या 13 सी ए (परीक्षा) एन/99 तारीख 21 जुलाई, 1999 के क्रम में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि उड़ीसा राज्य में अत्यधिक शक्तिशाली चक्रवात के कारण फाउण्डेशन, इण्टर मीडियेट तथा फाइनल परीक्षाओं के लिये चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पूरक परीक्षाएं अनन्यत: निम्नलिखित वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए नीचे दी गई तारीखों पर उड़ीसा राज्य में केवल भुवनेश्वर तथा कटक परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएंगी:—

फाउण्डेशन परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, विनियम, 1988 की अनुसूची "बी" के पैरा 1 ए में अन्तर्विष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार

8, 9, 10 तथा 11 दिसम्बर, 1999

(प्रात: सत्र 8.00 पूर्वाह्न से 11.00 पूर्वाह्न) (भारतीय मानक समय)।

इण्टरमीडियेट परीक्षा : चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विनियम, 1988 की अनुसूची "बी" के पैरा 2 ए में अन्तर्विष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार)।

ग्रुप 1 : 4, 5 तथा 6 दिसम्बर, 1999

ग्रुप 2 : 7, 8 तथा 9 दिसम्बर, 1999

(अपराह्न सत्र—12.30 अपराह्न से 3.30 अपराह्न) (भारतीय मानक समय)।

फाइनल परीक्षा :(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विनियम, 1988 की अनुसूची "बी" के पैरा "3 ए" में अन्तर्विष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार)।

ग्रुप–1 : 4, 5, 6 तथा 7 दिसम्बर, 1999

ग्रुप–2 : 8, 9, 10 तथा 11 दिसम्बर, 1999

(प्रातः सत्र—8.00 पूर्वाह्न से 11.00 पूर्वाह्न) (भारतीय मानक समय)

भुवनेश्वर तथा कटक परीक्षा केन्द्रों के अभ्यर्थियों हेतु :

इण्टरमीडिएट तथा फाइनल परीक्षाओं के ग्रुप–1 के लिये :

(क) ऐसे पात्र छात्र, जो इण्टरमीडियेट तथा फाइनल परीक्षा के ग्रुप-1 में बैठ ही नहीं सके हैं, अथवा

(ख) ऐसे पात्र छात्र, जो 1 नवम्बर, 1999 से प्रारम्भ हुई इण्टरमीडियेट तथा फाइनल परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों में बैठे थे और जिन्होंने 3 नवम्बर, 1999 को आयोजित ग्रुप-1 के तृतीय प्रश्न पत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व संबंधित केन्द्रों के परीक्षा अधीक्षकों को लिखित में यह विकल्प दे दिया था कि वे पूरक परीक्षा में पुनः बैठना चाहते हैं तथा 1 व 2 नवम्बर, 1999 को आयोजित हुई इण्टरमीडियेट/फाइनल परीक्षा के ग्रुप–1 के प्रथम दो प्रश्नपत्रों में उनकी उपस्थिति पर किसी भी परिस्थिति में कोई ध्यान न दिया जाये। तथापि, यदि कोई छात्र 3 नवम्बर, 1999 को आयोजित इण्टरमीडियेट/फाइनल परीक्षा के तृतीय प्रश्नपत्र में बैठा था, तो उसे 4 दिसम्बर, 1999 से आयोजित होने वाली पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई छात्र पूरक परीक्षा में बैठने के विकल्प का प्रयोग करने के पश्चात् अथवा इण्टरमीडियेट परीक्षा तथा फाइनल परीक्षा के ग्रुप –1 के द्वितीय प्रश्नपत्र में बैठने के पश्चात् इण्टरमीडियेट परीक्षा की दशा में 3 नवम्बर, 1999 को तथा फाइनल परीक्षा की दशा में 3 तथा/या 4 नवम्बर, 1999 को आयोजित ग्रुप-1 के पश्चात्वर्ती प्रश्नपत्र (प्रश्नपत्रों) में बैठ चुका है तो उसे 4 दिसम्बर, 1999 से आयोजित होने वाली पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उपरोक्त सिद्धान्त यूनिट वर्ग के अभ्यर्थियों को भी लागू होगा।

इण्टरमीडियेट परीक्षा तथा फाइनल परीक्षा के ग्रुप–2 तथा फाउण्डेशन परीक्षा हेतु

फाउण्डेशन परीक्षा, इण्टरमीडियेट परीक्षा के ग्रुप–2 तथा फाइनल परीक्षा के ग्रुप–2 के पात्र छात्रों को यथास्थिति, या तो 5 नवम्बर, 1999 से प्रारम्भ होने वाली फाउण्डेशन परीक्षा में अथवा 4 नवम्बर, 1999 से प्रारम्भ होने वाली इण्टरमीडियेट परीक्षा के ग्रुप–2 में तथा 5 नवम्बर, 1999 से प्रारम्भ होने वाली फाइनल परीक्षा के ग्रुप–2 में अथवा 4 दिसम्बर, 1999 से आयोजित होने वाली संबंधित पूरक परीक्षा में बैठने का विकल्प प्रदान किया गया था। तथापि ऐसे छात्र जो 5 नवम्बर, 1999 से प्रारम्भ हुई फाउण्डेशन परीक्षा में अथवा 5 नवम्बर, 1999 से प्रारम्भ हुई इन्टरमीडिएट परीक्षा के ग्रुप–2 4 में अथवा 5 नवम्बर, 1999 से प्रारम्भ हुई फाइनल परीक्षा के ग्रुप-2 में बैठ चुके हैं, चाहे एक प्रश्नपत्र में क्यों न बैठे हों, वे संबंधित पूरक परीक्षा में बैठने के लिये हकदार नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक छात्र को या तो 1 से 10 नवम्बर, 1999 से आयोजित हुई परीक्षा में अथवा पूरक परीक्षा में जो 4 दिसम्बर, 1999 से प्रारम्भ होना निश्चित है, दोनों में नहीं बैठने का विकल्प प्रदान किया गया था।

अनुक्रमांक, परीक्षा स्थान आदि सहित प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड), जो अभ्यर्थियों को पहले ही भेजे/संसूचित किये जा चुके हैं, पूरक परीक्षा के लिये मान्य बने रहेंगे। पहचान पत्र भी, जो पहले ही भेजे जा चुके हैं, मान्य बने रहेंगे।

जगदम्बा प्रसाद,
अवर सचिव (परीक्षा)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)
भविष्य निधि भवन, 14–भीकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली–110066, दिनांक 29 अक्तूबर 1999

सं० के० भ० नि० आ० (4) एम० पी०/1735/99/4688—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं में सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात में सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं :—

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	एम० पी०/8617	मै० व्हीकल फैक्ट्री एम्प्लाईज को० आ० सोसायटी लि०, आधारताल, जबलपुर।	1–4–95
2.	एम० पी०/8635	मै० मेहर सीमेंट कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता–भंडार मर्यादित, पी० ओ० मरखानगर–485772, मेहर, डि० सतना (एम० पी०))	1–12–93

1	2	3	4
3.	एम॰पी॰/8773	मै॰ जबलपुर हैचरीज प्रा॰ लि॰, 201 15, रतन कालोनी, गोरखपुर, जबलपुर (एम॰पी॰)	1-10-95
4.	एम॰पी॰/8783	मै॰ सरस्वती शिशु मंदिर, पावर ग्रिड पटन रोड, सुखा, जबलपुर (एम॰पी॰)	1-7-95
5.	एम॰पी॰/8793	मै॰ एम॰ के॰ कम्प्यूप्रिन्टस प्रा॰ लि॰ स्टेशन रोड, गोटेगांव, डि॰ नरसिंगपुर (एम॰पी॰)	1-5-96
6.	एम॰पी॰/8799	मै॰ ग्रे॰ आयरन फाऊण्ड्री एम्पलाईज को॰आ॰-सोसायटी लि॰ जबलपुर (एम॰ पी॰)	1-1-96
7.	एम॰पी॰/8802	मै॰ जिला सहकारी भूमि विकास बैंक-मार्यादित, सिद्धि (एम॰ पी॰)	1-1-96
8.	एम॰पी॰/8814	मै॰ महर्षि दयानन्द सरस्वती बाल कल्याण-शिक्षा समिति, सरस्वती शिशु मंदिर, निवास डि॰ मंडला, एम॰पी॰	1-9-896
9.	एम॰पी॰/8818	मै॰ दि डायसस कारपोरेशन आफ जबलपुर, बिशप हाऊस, 1, अहिल्याबाई मार्ग, जबलपुर-482001.	1-1-96
10.	एम॰पी॰/8858	मै॰ जिला सहकारी कर्मचारी अल्प बचत-समिति मार्यादित, सहकारी सदन, कचहरी मार्ग, सागर (एम॰पी॰)	1-12-96
11.	एम॰पी॰/8882	मै॰ कंजूमर्स को॰-आपरेटिव स्टोर्स लि॰ पी॰ ओ॰ सिंगरौली कोलियरी, डि॰ सिद्धि (एम॰पी॰)-486889	1-10-96
12.	एम॰पी॰/8901	मै॰ जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार—मार्यादित, पन्ना (एम॰ पी॰)	1-3-97
13.	एम॰पी॰/8935	मै॰ जिला सहकारी संघ मार्यादित, छतरपुर (एम॰ पी॰)	1-7-97
14.	एम॰पी॰/9102	मै॰ मध्य प्रदेश हाई-कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट कैम्पस, जबलपुर-482007 (एम॰पी॰)	1-1-98
15.	एम॰पी॰/9104	मै॰ सेंट मैरी स्कूल, विल्लेज-गिन्डा बराक, डि॰ सागर, एम॰पी॰-470001.	1-8-97
16.	एम॰पी॰/8483	मै॰ ओमेगा रब्बर इंडस्ट्रीज, 93-सी, सांवेर रोड, सैक्टर-ए, इंडस्ट्रीयल एरिया, इंदौर (एम॰पी॰)	1-10-93
17.	एम॰पी॰/10190	मै॰ सैन्चुरी सीमेंट सेवा ट्रस्ट, पी॰ ओ॰ बैकुण्ठ-493116, डि॰ रायपुर (एम॰पी॰)	1-10-95
18.	एम॰पी॰/11438	मै॰ बी॰ आई॰ ओ॰ पी॰ डिपोजिट-5, एम्पलाईज प्राइमरी कंजुमर्स को॰-आपरेटिव स्टोर्स लि॰ पी॰ ओ॰ बाचेली-494553, डि॰ बस्तर, एम॰ पी॰	1-12-97
19.	एम॰पी॰/12041	मै॰ मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी परस्पर-सहकारी साख संस्था मार्यादित, जी॰ पी॰ एच॰ प्रगत पोलो ग्राऊण्ड, इंदौर (एम॰ पी॰)	1-4-98
20.	एम॰पी॰/आई॰एन॰/10870	मै॰ डिफस सर्विसिज आफिसर्ज इंस्टीट्यूट-गोल्ड कोर्स, दी कालेज आफ काम्बट, मुहू (एम॰पी॰)-453441.	1-1-98

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

के॰ सी॰ पाण्डेय
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4)/डी एल(1736)/99-4689—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :—

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	डी० एल०/13035	मै० कवेस्ट एजूकेशनल सर्विसिज प्रा० लि० एच-24, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016.	1-2-91
2.	डी० एल०/17946	मै० डी० एस० एस० मोबाईल कम्युनिकेशंस लि०, सी-22, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110016.	1-3-95
3.	डी० एल०/18854	मै० जी-पावर सर्विसिज (इंडिया) लि० नेहरू हाऊस, सैकिंड फ्लोर, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, पी० ओ० बाक्स-7001, नई दिल्ली-110002.	1-9-97
4.	डी० एल०/18156	मै० पाल सिक्योरिटी सर्विसिज (रजि०) जे-1/137, डी० डी० ए० फलैट्स, कालकाजी, नई दिल्ली-110019.	16-2-96
5.	डी० एल०/20605	मै० सेलूलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, एफ-301, गौरी सदन 5, हैली रोड, नई दिल्ली-110001.	1-4-98
6.	डी० एल०/20611	मै० ट्रांस्विच इंडिया प्रा० लि० ए-2/9, सफदरजंग एन्क्लेव, फस्ट फ्लोर, नई दिल्ली-110029.	1-4-98
7.	डी० एल०/20619	मै० कोरनिंग फ्रांस, इंडिया ब्रांच आफिस, तीसरी मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001.	1-1-98
8.	डी० एल०/20623	ग्लोब ट्रोटर्स प्रा० लि०, जी०एफ०-12, प्रकाश दीप बिल्डिंग, 7, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001.	1-5-98
9.	डी० एल०/20665	मै० ग्रीनस्पान टैक्नालोजी प्रा० लि०, 313, विशवादीप बिल्डिंग, डिस्ट्रीक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058.	1-6-98
10.	डी० एल०/20679	मै० ट्राक्सोन इंडिय प्रा० लि० ई-9, कनाट हाऊस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001.	1-4-98
11.	डी० एल०/20682	मै० इंटरनैशनल फेडरेशन आफ रेड क्रास एण्ड रेड क्रिसेंट सोसायटीज, एफ-25 ए, हौजखास एन्क्लेव, नई दिल्ली-110016.	1-4-98
12.	डी०एल०/20700	मै० बी० बी० स्कीमा प्रा० लि० धनराज चैम्बर्स, फस्ट फ्लोर, विल्लेज सतबड़ी, नई दिल्ली-110030.	1-7-98
13.	डी० एल०/20721	मै० पंजाब नैशनल बैंक आल कार्डर को-आपरटिव-थ्रिफट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लि० मार्फत : पंजाब नैशनल बैंक, एन-86, कनाट सर्कस, जनपथ, नई दिल्ली-110001.	1-9-98
14.	डी० एल०/20723	मै० एडवांस्ड फाईबर कम्युनिकेशंस (इंडिया) प्रा० लि० सूट-117, दि ओबराय, डा० जाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली-110003.	1-4-98
15.	डी०एल०/20765	मै० कार्ल एंस्टोरज एंडोस्कोपी इंडिया प्रा० लि० 38, पूर्वी मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057.	1-6-98
16.	डी० एल०/20778	मै० ई० डब्ल्यू० पैट्रोकैमिकल्स प्रा० लि० अपार्ट० नं 85, ब्लाक-2, चौथी मंजिल, कुतुब विव अपार्टमेंट्स, कटवाड़िया सराय, नई दिल्ली-110016.	1-6-98
17.	डी० एल०/20781	मै० एक्सप्रेस गिफट्स लि० 11, मथुरा रोड, जंगपुरा बी, नई दिल्ली-110014.	1-4-98

1	2	3	4
18.	डी०एल०/20795	मै० यूनिवर्सल आटोमोबाईल्स, 16/11, आर्या समाज रोड, करौल बाग, नई दिल्ली-110005.	1-1-98
19.	डी० एल०/20812	मै० बाल विकास फाऊंडेशन (रजि०) 450, सनलाईट, जे० जे० कालोनी-1, नई दिल्ली-110014.	1-9-98
20.	डी०एल०/20817	मै० पर्ल ज्वेलरी इंडिया लि०, एन-10, साऊँथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-110049.	1-5-98
21.	डी० एल०/20877	मै० एम० एण्ड एम० इंटरनेशनल लि०, इंडिया लायजन ऑफिस, एच-14, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016.	1-8-98
22.	डी० एल०/20887	मै० नवीन भारती पब्लिक स्कूल, दुर्गा पुरी, दिल्ली-110093.	1-1-98
23.	डी० एल०/20970	मै० भण्डारी हाऊस फ्लैट-होल्डर्स वैल्फेयर-एसोसिएशन, भण्डारी हाऊस, 91, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019.	1-11-98
24.	डी० एल०/21006	मै० कांटीनेन्टल कैप्स कार्टून्स, 23/35, स्टेशन रोड, समयपुर, दिल्ली-110042.	1-11-98
25.	डी० एल०/21015	मै० कुमारान एण्ड सागर, बी-4/158, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029.	1-4-98
26.	डी० एल०/21212	मै० जिबको सी० आर० एल० इंडिया प्रा० लि० 4 एफ, जी, एच, चौथी मंजिल, गोपाला टॉवर, 25, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008.	1-7-98

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

के० सी० पाण्डेय
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के०भ०नि०आ०1 (9) सी०एन० (1737)) 99-4690—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें:—

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	पी०एन०/13657	मै० मुनाफ क्रैडिट एण्ड इंवेस्टमेंट प्रा० लि०, एस० सी० ओ० 2, सैकिंड फ्लोर, सैक्टर-26, मध्या मार्ग, चण्डीगढ़-160026.	31-10-92
2.	पी० एन०/14063	मै० कमला औरनामैक लि०, प्लाट नं० 81, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, चण्डीगढ़-160002.	1-9-94

1	2	3	4
3.	पी० एन०/14113	मै० जगदीश चन्द गुप्ता, कांट्रक्टर, कोठी नं० 163, सैक्टर-38-ए, चण्डीगढ़-160038.	1-1-95
4.	पी० एन०/14342	मै० शहीद नीरजा भनोट, सर्वहितकारी पब्लिक स्कूल, 339, सैक्टर-15ए, चण्डीगढ़ ।	1-4-95

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

के० सी० पाण्डेय,
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) जी० जे० (1738)/99-4691.—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें:—

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	जी०जे०/एस० आर०टी०/30276	मै० गार्डवेल सिक्योरिटी सर्विसिज (प्रा०) लि०, 804, हरे कृष्णा कॉम्पलैक्स, नियर-ऊमा भवन, भातर रोड, सूरत ।	1-9-95
2.	जी०जे०/एस०आर०टी०/30289	मै० प्राइम को०-आपरेटिव बैंक लि०, खटोदरा रिंग रोड, अपो० सब-जेल, सूरत-395002.	1-4-95
3.	जी० जे०/एस०आर०टी०/30710	मै० वैल-फैब इंजीनियरिंग, केसर कॉम्पलैक्स, टाडवाड़ी, अपो० वैस्ट जोन आफिस, रैन्डर रोड, सूरत ।	1-3-96
4.	जी०जे०/एस० आर० टी०/30836	मै० शरद माइक्रो डाई एण्ड इंजी० वर्क्स, टी-12, उद्योग नगर, नावसारी-396445.	1-6-96
5.	जी०जी०/एस०आर०टी०/30335	मै० शाह डॉक्टर एण्ड एसोसिएट्स, सी-2, शाली भाद्रा अपार्टमेंट, पारले प्वाइंट, सूरत-395007.	1-1-96
6.	जी०जे०/आर०जे०/26403	मै० जयहिन्द वेल्डिंग वर्क्स, भारती बिल्डिंग, फस्ट फ्लोर, अपो० नान्जी-कालीदास गर्ल्स छात्रालय, भिलवाड़ा, मेन रोड, राजकोट-360001.	1-4-97
7.	जी०जे०/आर०जे०/26404	मै० एक्यूरेट स्टील फैब्रिकेटर्स, अपो० ओल्ड ओक्टरोई नाका, कुवाँडवा रोड, राजकोट ।	1-4-97

1	2	3	4
8.	जी०जे०/एस०आर०टी०/30823	मै० एन०-विजन इंजीनियरिंग, 208, जी-टॉवर, शंखेश्वर काम्पलैक्स, एबोव गिरीश ग्रुप आफ होस्पीटल, नानपुरा, सूरत-395002.	30-3-96
9.	जी०जे०/21294	मै० अमर रोडवेज कं०, शिकारी मोहल्ला, पोलन बाजार, नियर-पुलिस चौकी नं० 3, गोधरा-389001, डि० पंचमहल ।	1-3-99
10.	जी०जे०/एस०आर०टी०/31278	मै० अम्बिका इंजीनियरिंग सर्विस, बोरीदरा (अम्बोली) अंकलेश्वर-393001.	1-6-97
11.	जी०जे०/एस०आर०टी०/31343	मै० कमला एन्टरप्राईजिज, ए-24, नर्मदेश्वर चौकडी, नियर रिलीफ स्टील, स्टेशन रोड, भरूच-392001.	30-6-97
12.	जी०जे०/एस०आर०टी०/31354	मै० हाई-टैक वाल्व सर्विस, प्लाट नं० एल-7830/5, जी० आई०डी० सी० अंकलेश्वर, डि० भारूच, गुजरात ।	1-1-98
13.	जी०जे०/एस०आर०टी०/31364	मै० एम० एन० एजेंसीज, 39, कुंजकुंज सोसायटी, जाडेश्वर रोड, भारूच ।	1-1-97
14.	जी०जे०/अहम०/26167	मै० महेश भाई सी० ब्राहमभट्ट, 14, विठाल पार्क, सोसायटी-विभाग-2, अपो० अरबर बैंक, मेहसाना-384002.	1-6-96

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

के० सी० पाण्डेय,
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) के० एन० (1739)/99—4692—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें:—

क्र०सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	के०एन०/14240	मै० टरगाव लार्ज साईज मल्टीपरपज को०-आपरेटिव सोसायटी लि०, टरगाव, तालुक, हलियाल, नार्थ कनारा-581329 ।	1-1-91
2.	के०एन०/15069	मै० तालुक एग्रीकल्चरल प्रोडूस को०-आ० मार्केटिंग सोसायटी लि०, हमनाबाद, डिस्ट्रीक्ट—बिदर ।	1-6-91

1	2	3	4
3.	के०एन०/16189	मै० वैश्य को-आपरेटिव बैंक लि०, विवेकानन्द रोड, टुम्कुर-572101 ।	1-4-93
4.	के०एन०/बी०एन०/19802	मै० आटो स्टाईपिंग इंडिया प्रा० लि०, 173/2, मेडियाला ग्रामा, बन्दापुरा, अनुकल तालुक, बंगलौर--562106 ।	1-3-97
5.	के०एन०/19390	मै० सरी हरी एक्सपोर्ट्स, 812, 23वां मेन, जे० पी० नगर, सैकिंड फैस, बंगलौर-560078 ।	1-6-96
6.	के०एन०/20323	मै० लोबो मशीन शाप, शेड नं० सी-12, अपो० कमारा स्टील, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, बैकाम्पेडी, मंगलौर-575011 ।	1-9-98
7.	के०एन०/20344	मै० श्री राम सैनिट्री, 1/24, अजीजुदीन रोड, बंदर, मंगलौर-575001 ।	1-4-99
8.	के०एन०/20347	मै० निर्माण एसोसिएट्स, "सुशान्त" एच० नं० 3-10/19, गांधीनगर, कवूर, मंगलौर-15 ।	1-3-98
9.	के०एन०/21006	मै० हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, सैकिंड फ्लोर, चैम्बर्स बिल्डिंग काम्प्लेक्स, सुपर मार्किट, गुलबर्गा-585101 कर्नाटका ।	1-1-95
10.	के०एन०/21103	मै० बिलाल एजूकेशन सोसायटी, काम्थाना-585226, ता० एण्ड डि० बिदर,	1-8-96
11.	के०एन०/21109	मै० दि बगलकोट अरबन को०-आ० बैंक लि०, वी० पी० एम० प्रीमिसिज, बगलकोट--587101 ।	1-11-96
12.	के०एन०/21137	मै० होटल आराधना डिलैक्स, नियर-बस स्टैण्ड, बगलकोट ।	1-4-97
13.	के०एन०/21155	मै० दि सिंदगी अरबन को०-आपरेटिव बैंक लि०, सिंदगी-586128 । डि० बीजापुर ।	1-4-97
14.	के०एन०/21162	मै० दि बनहट्टी हैण्डलूम टैक्सटाईल-प्रोसैसिंग को०-आ० सोसायटी लि०, तालुक-जामखण्डी, बनाहट्टी-587311 । डि० बीजापुर ।	1-4-97
15.	के०एन०/21166	मै० व्यवसाय सेवा सहाकारा संघ नियमिता, मर्लानाहल्ली, ता० गंगावथि, डि० रायचूर (कर्नाटका) ।	1-4-97
16.	के०एन०/21170	मै० रायथारा सेवा सहकारी संघ नियमित, मास्की-584124, तालुक-लिंगसुगुर, डि० रायचूर ।	1-4-97
17.	के०एन०/21175	मै० कावेरी लिवर्स प्रा० लि०, 4(सी) 1, कोल्हार इंडस्ट्रीयल एरिया, कोल्हार-585403, बिदर (कर्नाटका) ।	1-10-93

1	2	3	4
18.	के०एन०/21190	मै० बिदर महिला अरबन को० आ० बैंक लि०, नं० 8-10-39, न्यु हाऊसिंग कोलानी, इंदिरा मार्किट, बिदर-585401 ।	1-1-98
19.	के०एन०/21224	मै० बिदर को० आपरेटिव प्रिंटिंग वर्क्स लि०, गोविन्दा काम्पलैक्स, जनवाड़ा रोड, बिदर-585401 ।	1-5-98
20.	के०एन०/23002	मै० क्रिएटिव इंजीनियर्स, बेगुर, होस्कोट ता०, बंगलौर डि०-562122 ।	31-7 97
21.	के०एन०/23681	मै० समार्ट मोडूलर टैक्नोलोजिज इंडिया प्रा० लि०, नं० 83, रेलवे पारालेल रोड, कुमारा पार्क वेस्ट बंगलौर-560020 ।	1-4-98
22.	के०एन०/23595	मै० नाईक इन्स०-इंडिया लायजन आफिस, 204, 205 एम्बैसी स्क्वेयर, 148, इन्फैन्ट्री रोड, बंगलौर-560046 ।	1-1-98

अत : केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

के० सी० पाण्डेय
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) एच० आर० (1740)/99-469—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें:—

क्र०सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	एच०आर०/7792	मै० प्रशा इलैक्ट्रोनिक्स लि०, 249-सी, उद्योग विहार, फेस-4, पी० ओ० मारुति, गुड़गांव, हरियाणा ।	2-1-95
2.	एच०आर०/8340	मै० शक्ति विद्या निकेतन हाई स्कूल, 3 ई-3, बी० पी० एन० आई० टी० फरीदाबाद, हरियाणा ।	1-10-95
3.	एच०आर०/8743	मै० भगवती पैलेसमेंट सर्विसिज, ई/879, एयर फोर्स रोड, डबुआ कालोनी, एन० आई० टी० फरीदबाद-121001 ।	1-7-95
4.	एच०आर०/8772	मै० आई० एच० आई० इंटरनैशनल, 66-बी, हार्डवेयर चौक, एन० आई० टी० फरीदाबाद-121001 ।	1-8-96

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

के० सी० पाण्डेय
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 1999

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-4/4697—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई असर अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि एक कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची—1

क्र०सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के०भ०नि०आ० की फाईल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० कपूर एण्टरप्राईजिज ए–66, ओखला फेस–II, नई दिल्ली–20 ।	डी०एल०/5520	2/1959 डी०एल० आई०/एक्जम/89 पी० टी०–1 दिनांक	31-3-90	1–4–90 से 31–1–92 यह संस्थान ई०डी० एल० आई० में परिवर्तित हो गया है । दिनांक 1–2–92 से	2/3282/90 डी०एल० आई०
2.	मै० रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विस लि०, नई दिल्ली हाउस 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–1 ।	डी०एल०/5633	2/1959/डी०एल० आई०/एक्जम/89 पी० टी० - I/37203 दिनांक–15–3–99	20–5–98	21–5–98 से 20–5–2001	2/866/83/डी०एल० आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (ख) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाय, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

ए. के. जैन
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-4/4703—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची—1

क्र०सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छुट प्रदान/विस्तार की गई	छुट समाप्ति की तिथि	छुट विस्तार की तिथि	के०भ०नि०आ० की फाईल सं०
1.	मै० जय कैमिकल्स, 14/1, मथुरा रोड़, फरीदाबाद	एच०आर०/ 1063	2/1959/डी०एल० आई०/एक्जम/89/पी० टी०-1	31-3-97	1-4-93 से 31-3-96 1-4-96 से 31-3-99	5/6/97/डी०एल० आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2—क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने वाले बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

ए. के. जैन
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

UCO BANK

Head Office, 10, Biplabi

Trailokya Maharaj Sarani

(Brabourne Road), Calcutta-700001

UCO BANK GENERAL REGULATIONS, 1998

In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 the Board of Directors of UCO Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :

CHAPTER – I

INTRODUCTORY

1. **Short title and commencement –**

   (i) These regulations may be called UCO Bank General Regulations, 1998.

   (ii) These regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Definitions** – In these regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context or meaning thereof –

   (a) "Act" means the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970);

   (b) "Bank" means UCO Bank, constituted under section 3 of the Act;

   (c) "Board" means the Board of Directors constituted under section 9 of the Act;

   (d) "Chairman" means the Chairman of the Board;

   (e) "Committee" means a Committee as constituted by the Board;

   (f) "Executive Director" means the wholetime Director, not being the Managing Director;

   (g) "General Manager" means General Manager of the Bank;

   (h) "Management Committee" means a Committee constituted under Clause 13 of the Scheme;

   (i) "Managing Director" means Managing Director of the Bank;

   (j) "Register" means the register of Shareholders kept in one or more books of the Bank and includes the register of Shareholders kept in Computer floppies or diskettes under sub-section (2G) of section 3 of the Act;

   (k) "Registrar" means the person appointed by the Bank for –

      (i) collecting applications from investors in respect of an issue,

      (ii) keeping a proper record of applications and monies received from investors or paid to the seller of the securities.

(iii) assisting the Bank in –

(a) determining the basis of allotment of securities in consultation with the stock exchange,

(b) finalising the list of persons entitled to allotment of securities,

(c) processing and despatching allotment letters, refund orders or certificates and other related documents in respect of issue, and

(iv) such other function as assigned from time to time by the Bank,

(l) "Scheme" means the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;

(m) "Share" means share in the Share Capital of the Bank;

(n) "Share transfer agent" includes –

(I) any person, who on behalf of the Bank maintains the records of holders of securities issued by the Bank and deals with all matters connected with the transfer and redemption of its securities, or

(II) a department or division (by whatever name called) of the Bank performing the activities referred in sub-clause (I);

(o) words and expressions used in Chapter III and not defined in these Regulations but defined in the Depositories Act, 1996 (Act 22 of 1996), shall have the meaning respectively assigned to them in the said Act.

(p) Other expressions used and not defined in these regulations but used in the Act or the scheme shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Scheme;

.....

CHAPTER – II

SHARES AND SHARE REGISTER

3. Nature of shares – The shares of the Bank shall be movable property, transferable in the manner provided under these regulations.

4. Kinds of share capital

(I) Preference Share Capital means that part of share capital of the Bank which fulfils both the following conditions : –

(A) as respects dividends, it carries a preferential right to be paid a fixed amount or an amount calculated at fixed rate, which may be either free of or subject to income tax and

(B) as respect capital, it carries or will carry, on winding up to repayment of capital, a preferential right to be repaid the amount of the capital paid-up or deemed to have been paid-up, whether or not there is preferential right to the payment of either or both of the following amounts, namely :–

(a) any money remaining unpaid, in respect of the amounts specified in clause (A) up to the date of winding up or repayment of capital, and

(b) any fixed premium or premium on any fixed scale, specified by the Board with the previous consent of the Central Government.

(II) "Equity Share Capital" means all share capital, which is not preference share capital.

(III) The expressions "Preference share" and "Equity Share" shall be construed accordingly.

5. Particulars to be entered in the register

(I) A share register shall be kept, maintained and updated in accordance with sub-section 2(F) of section 3 of the Act.

(II) In addition to the particulars specified in sub-section 2(F) of section 3 of the Act, such other particulars as the Board may specify shall be entered in the register.

(iii) In the case of joint holders of any share, their names and other particulars required by sub-regulation (i) shall be grouped under the name of the first of such joint holders.

(iv) Subject to the proviso of sub-section 2(D) of Sec. 3 of the Act, a shareholder resident outside India may furnish to the Bank an address in India, and any such address shall be entered in the register and be deemed to be his registered address for the purposes of the Act and these regulations.

(v) No Notice of any trust, express implied or constructive, shall be entered on the register or be receivable by the Bank.

6. **Control over shares and registers.** – Subject to the provision of the Act and these regulations, and such directions as the Board may issue from time to time, the register shall be kept and maintained at the head office of the Bank and be under the control of the Board and the decision of the Board as to whether or not a person is entitled to be registered as a shareholder in respect of any share shall be final.

7. **Parties who may not be registered as shareholders.** –

(i) Except as otherwise provided by these regulations, all persons who are not competent to contract shall not be entitled to be registered as a shareholder and the decision of the Board in this regard shall be conclusive and final.

(ii) In case of firms, shares may be registered in the names of the individual partners and no firm, as such, shall be entitled to be registered as a shareholder.

8. **Maintenance of share register in computer system, etc.** –

(i) The particulars required to be entered in the share register under sub-section 2(F) of section 3 of the Act, read with those mentioned in regulation 5, shall be maintained under sub-section 2(G) of section 3 of the Act, in the form of data stored in magnetic/optical/magneto-optical media by way of diskettes, floppies, cartridges or otherwise (hereinafter referred to as the "media") in computers to be maintained at the Head Office and the back up at such location as may be decided from time to time by the Chairman and Managing Director or any other official not below the rank of a General Manager designated in this behalf by the Chairman and Managing director (hereinafter referred to as "the designated official").

(ii) Particulars required to be entered in the share register under Sec. 3(B) of the Act read with Section 11 of the Depositories Act, 1996 shall be maintained in the electronic form in the manner and in the form as prescribed therein.

9. **Safeguards for protection of computer system.**

(i) The access to the system set out in Regulation 8(i) in which data is stored shall be restricted to such persons including Registrars to an issue and/or share transfer agents as may be authorised in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official and the passwords if any, and the electronic security control systems shall be kept confidential under the custody of the said persons.

(ii) The access by the authorised persons shall be recorded in logs by the computer system and such logs shall be preserved with the officials/ persons designed in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official.

(iii) Copies of the back-ups shall be taken on removable media at intervals as may be specified from time to time by the Chairman and Managing Director or the designated official, incorporating the changes made in the register of shareholders. At least one of these copies shall be stored in a location other than the premises in which processing is being done. This copy shall be stored in a fire-proof environment with locking arrangement and at the requisite temperature. The access to the back-ups in both the locations shall be restricted to persons authorised in this behalf by the Chairman and Managing Director or the designated official. The persons so authorised shall record the access in a manual register kept at the location.

(iv) It shall be the duty of the authorised persons to compare the data on the back-ups with that on the computer system by using appropriate software to ensure correctness of the back-up. The result of this operation shall be recorded in the register maintained for the purpose.

(v) It shall be competent for the Chairman and Managing Director, by special or general order, to add or modify the instructions, stipulations in regard to the safeguards to be observed in maintaining the register of the shareholders in the computer system with due regard to the advancement of technology, and/ or in the exigencies of situation or for any other relevant consideration.

10. Exercise of rights of joint holders. – If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

11. Inspection of register.

(i) The register shall, except when closed under Regulation 12, be open to inspection of any shareholder, free of charge, at the place where it is maintained during business hours subject to reasonable restrictions as the Board may impose, but so that not less than two hours in each working day shall be allowed for inspection.

(ii) Any shareholder may make extracts of any entry in the register free of charge or if he requires a copy or computer prints of the register or of any part thereof, the same will be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs.5/- for every 100 words or fractional part thereof required to be copied.

(iii) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (ii), any duly authorised officer of the Government shall have the right to make a copy of any entry in the register or be furnished a copy of the register or any part thereof.

12. Closing of the register.

The Bank may, after giving not less than seven days previous notice by advertisement in at least two newspaper circulating in India, close the register of shareholders for any period or any periods not exceeding in the aggregate forty-five days in each year, but not exceeding thirty days at any one time as shall, in its opinion, be necessary.

13. Share Certificates. –

(I) Each share certificate shall bear share certificate number, a distinctive number, the number of the shares in respect of which it is issued and the name of the shareholder to whom it is issued and it shall be in such form as may be specified by the Board.

(II) Every share certificate shall be issued under the common seal of the Bank in pursuance of a resolution of the Board and shall be signed by two directors and some other officer appointed by the Board for the purpose.

Provided that the signature of the directors may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical process as the Board may direct.

(III) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as a signature in the proper handwriting of the signatory himself.

(Iv) No share certificate shall be valid unless and until it is so signed. Share Certificates so singed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign share certificates on behalf of the Bank.

(v) Should the share certificate so prepared contain the signature of an authorised person, as stated in sub-clause (II) above, who however is dead at the time of issue of the certificate, the Bank may, by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The share certificate so issued shall be valid.

14. Issue of share certificates.

(I) While issuing share certificates to any shareholder, it shall be competent for the Board to issue the certificates on the basis of one certificate for every hundred shares or multiples thereof registered in his name on any one occasion and one additional share certificate for the number of shares in excess thereof but which are less than hundred.

(II) If the number of shares to be registered is less than hundred, one certificate shall be issued for all the shares.

(iii) In respect of any share or shares held jointly by several persons, the bank shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

15. Renewal of share certificates.

(i) If any share certificate is worn out or defaced, the Board or the committee designated by it on production of such certificate may order the same to be cancelled and have a new certificate issued in the lieu thereof.

(ii) If any share certificate is alleged to be lost or destroyed, the Board or the Committee designated by it on such indemnity with or without surety as the Board or the Committee thinks fit, and on publication in two newspapers and on payment to (Name of bank) of its costs, charges and expenses, a duplicate certificate in lieu thereof may be given to the person entitled to such lost or destroyed certificate.

16. Consolidation and sub-division of shares :

On a written application made by the shareholder(s), the Board or the committee designated by it may consolidate or sub-divide the shares submitted to it for consolidation/sub-division as the case be and issue a new certificate(s) in lieu thereof on payment to the Bank of its costs, charges and expenses of and incidental to the matter.

17. Transfer of shares :

(i) Every transfer of the shares of the Bank shall be by an instrument of transfer in form 'A' annexed hereto or in such other form as may be approved by the Bank from time to time and shall be duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transferor and the transferee alongwith the relative share certificate.

(ii) The instrument of transfer alongwith the share certificate shall be submitted to the Bank at its Head Office and the transferor shall be deemed to remain the holder of such shares until the name of the transferee is entered in the share registered in respect thereof.

(iii) Upon receipt by the Bank of an instrument of transfer alongwith a share certificate with a request to register the transfer, the Board or the committee designated by the Board shall forward the said instrument of transfer alongwith share certificate to the Registrar and/or Share Transfer Agents for the purposes of verification that the technical requirements are complied with in their entirety. The Registrar and/or Share Transfer Agent shall return the instrument of transfer alongwith the share certificate if any to the Transferee for resubmission unless :

(a) The instrument of transfer is presented to the Bank, duly stamped and properly executed for registration and is accompanied by the certificate of

the shares to which it relates and such other evidence as the Board may require to show the title of the transferor to make such transfer.

(b) The Registrar is satisfied that the transferee is qualified to be registered as a shareholder of the Bank in respect of the shares covered by the instrument of transfer.

(iv) The Board or the Committee designated by the Board shall unless it declines to register the transfer under regulation 19 hereinafter cause the transfer to be registered.

18. Power to suspend transfers :- The Board or the committee designated by the Board shall not register any transfer during any period in which the register is closed.

19. Board's right to refuse registration of transfer of shares :-

(i) The Board may refuse transfer of any shares in the name of the transferee on any one or more of the following grounds, and on no other grounds :-

(a) the transfer of shares is in contravention of the provisions of the Act or regulations made thereunder or any other law or that any other requirement under the law relating to registration of such transfer has not been complied with;

(b) the transfer of shares, in the opinion of the Board, is prejudicial to the interests of the Bank or to public interest;

(c) the transfer of shares is prohibited by an order of court, Tribunal or any other authority under any law for the time being in force.

(d) an individual or company resident outside India or any company incorporated under any law not in force in India or any branch of such company whether resident outside India or not will on the transfer being allowed hold or acquire as a result thereof, shares of the Bank and such investment in the aggregate will exceed the percentage being more than 20% (twenty) of the paid up capital or as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette.

Provided however, that the powers of refusal mentioned in sub-regulation (i) (c) above may be exercised by the committee designated by the Board in this behalf.

(ii) The Board shall, after the instrument of transfer of shares of the Bank is lodged with it for the purpose of registration of such transfer form its opinion as to whether such registration ought or ought not to be refused on any of the grounds referred to in sub-regulation (i) -

(a) if it has formed the opinion that such registration ought not to be so refused, effect such registration; and

(b) If it has formed the opinion that such registration ought to be refused on any of the grounds mentioned in sub-regulation (i), intimate the Transferor and the Transferee by notice in writing within 60 days from the receipt of the Transfer Form.

20. Transmission of shares in the event of death, insolvency etc :

(i) The executors or administrators of a deceased shareholder in respect of a share, or the holder of letter of probate or letters of administration with or without the will annexed or a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925, or the holder of any legal representation or a person in whose favour a valid instrument of transfer was executed by the deceased sole holder during the latter's lifetime shall be the only person who may be recognised by the Bank as having any title to such share.

(ii) In the case of shares registered in the name of two or more shareholders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, his executors or administrators or any person who is the holder of letters of probate or letter of administration with or without will annexed or a succession certificate or any other legal representation in respect of such survivor's interest in the share or a person in whose favour a valid instrument of transfer of share was executed by such person and such last survivor during the latter's lifetime, shall be the only person who may be recognised by (Name of bank) as having any title to such share.

(iii) The Bank shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration or succession certificate, as the case may be, from a court of competent jurisdiction.

Provided, however, that in a case where the Board in its discretion thinks fit, it shall be lawful for the Board to dispense with the production of letters of probate or letters of administration or succession certificate or such other legal representation, upon such terms as to indemnity or otherwise as it may think fit.

(iv) Any such person becoming entitled to a share in consequence of death of a shareholder and any person becoming entitled to a share in consequence of the insolvency, bankruptcy or liquidation of a shareholder shall upon production of such evidence, as the Board may require, have the right –

(a) to be registered as a shareholder in respect of such share.

(b) to make such transfer of such share as the person from whom he derives title could have made.

21. Shareholder ceasing to be qualified for registration – It shall be the duty of any person registered as a shareholder, whether solely or jointly with another or others

forthwith upon ceasing to be qualified to be so registered in respect of any share to give intimation thereof to the Board of Directors in this regard.

22. **Calls on shares** – The Board may, from time to time, make such calls as it thinks fit upon the shareholders in respect of all moneys remaining unpaid on the shares held by them, which are by the conditions of allotment not made payable at fixed times, and each shareholder shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the time and place appointed by the Board. A call may be payable by instalments.

23. **Calls to date from resolution** – A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorising such call was passed and may be made payable by the shareholders on the register on such date or at the discretion of the Board on such subsequent date as may be fixed by the Board.

24. **Notice of call** – A notice of not less than thirty days of every call shall be given specifying the time of payment provided that before the time for payment of such call the Board may by notice in writing to the shareholders revoke the same.

25. **Extension of time for payment of call** – The Board may, from time to time and at its discretion, extend the time fixed for the payment of any call to all or any of the shareholders having regard to distance of their residence or some other sufficient cause, but no shareholder shall be entitled to such extension as a matter of right.

26. **Liabilities of joint holders** – The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

27. **Amount payable at fixed time or by instalments as calls** – If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is payable at any fixed time or by instalments at fixed times, every such amount of instalment shall be payable as if it were a call duly made by the Board and of which due notice had been given and all the provisions herein contained in respect of the calls shall relate to such amount or instalment accordingly.

28. **When interest on call or instalment payable** – If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for payment thereof, the holder for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made, or the instalment shall be due, shall pay interest on such sum at such rate as the Board may fix from time to time, from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Board may at its discretion waive payment of such interest wholly or in part.

29. **Non-payment of calls by shareholder** – No shareholder shall be entitled to receive any dividend or to exercise any right of a shareholder until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether singly or

jointly with any person, together with interest and expenses, as may be levied or charged.

30. **Notice on non-payment of call or instalment** – If any shareholder fails to pay the whole or any part of any call or instalment or any money due in respect of any shares either by way of principal or interest on or before the day appointed for the payment of the same, the Bank may at any time thereafter during such time as the call or instalment or any part thereof or other moneys remain unpaid or a judgement or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole or in part, serve a notice on such shareholder or on the person (if any) entitled to the shares by transmission, requiring him to pay such call or instalment or such part thereof or other moneys as remain unpaid together with any interest that may have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by the Bank by reason of such non-payment.

31. **Notice of Forfeiture** – The notice of forfeiture shall name a day not being less than fourteen days from the date of the notice and the place or places on and at which such call or instalment or such part or other monies and such interest and expenses as aforesaid are to be paid. The notice shall also state that in the event of non-payment on or before the time and at the place appointed, the share in respect of which the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.

32. **Shares to be forfeited on default** – If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter for non-payment of all calls or instalments, interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by a resolution of the Board to that effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.

33. **Entry of forfeiture in the register** – When any share has been forfeited under regulation 32, an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the register.

34. **Forfeited shares to be property of the bank and may be sold** – Any share so forfeited shall be deemed to be the property of the Bank and may be sold, reallotted or otherwise disposed of to any person upon such terms and in such manner as the Board may decide.

35. **Power to annul forfeiture** – The Board may, at any time, before any share so forfeited under regulation 32 shall have been sold, reallotted or otherwise disposed of, annual the forfeiture thereof upon such conditions as it may think fit.

36. **Shareholder liable to pay money owing at the time of forfeiture and interest** – Any shareholder whose shares have been forfeited shall, notwithstanding the

forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to the Bank all calls, instalments, interest, expenses and other moneys owing upon or in respect of such shares at the time of forfeiture with interest thereon from the time of forfeiture until payment at such rate as may be specified by the Board and the Board may enforce the payment of the whole or a portion thereof.

37. **Partial payment not to preclude forfeiture** – Neither a judgement nor a decree in favour of the Bank for calls or other monies due in respect of any shares nor any payment or satisfaction thereunder nor the receipt by (Name of bank) of a portion of any money which shall be due from any shareholder from time to time in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by the Bank in respect of any money shall preclude the forfeiture of such shares under these regulations.

38. **Forfeiture of share extinguishes all claims against Bank** – The forfeiture of a share shall involve extinction, at the time of the forfeiture, of all interest in and all claims and demands against the Bank, in respect of the share and all other rights incidental to the share, except only such of those rights as by these presents expressly waived.

39. **Original shares null and void on sale, re-issue, re-allotment or disposal on being forfeited** – Upon any sale, re-issue, re-allotment or other disposal under the provisions of the preceding regulations, the certificate(s) originally issued in respect of the relative shares shall (unless the same shall on demand by the Bank have been previously surrendered to it by the defaulting member) stand cancelled and become null & void and of no effect, the Board shall be entitled to issue a new certificate or certificates in respect of the said shares to the person or persons entitled thereto.

40. **Application of forfeiture provisions** – The provisions of these regulations as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by terms of issue of a share become payable at a fixed time, whether on account of nominal value of the shares or by way of premium as if the same had been payable by virtue of a call duly made.

41. **Lien on shares** –

(i) The Bank shall have a first and paramount lien –

(a) on every share (not being a fully-paid share), for all moneys (whether presently payable or not) called, or payable at a fixed time, in respect of that share;

(b) of all shares (not being fully-paid shares) standing registered in the name of a single person, for all moneys presently payable by him or his estate to the Bank;

(c) upon all the shares registered in the name of each person (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds of sale thereof for his debts, liabilities, and engagements, solely or jointly with any other person to or with the Bank, whether the period for the payment, fulfilment, or discharge thereof shall have actually arrived or not and no equitable interest in any share shall be recognised by the Bank, over its lien.

Provided that the Board of Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this clause.

(II) The Bank's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon.

42. Enforcing Lien by Sale of Shares. –

(I) The Bank may sell, in such manner as the Board thinks fit, any shares on which the company has a lien :

(a) if a sum in respect of which the lien exists is presently payable, and

(b) after the expiration of fourteen days after a notice in writing, stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.

(II) To give effect to any such sale, the Board may authorise some officer to transfer the shares sold to the purchaser thereof.

43. Application of proceeds of sale of shares – The net proceeds of any sale of shares under regulation 42 after deduction of costs of such sale, shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is presently payable and the residue, if any, be paid to the shareholders or the person, if any, entitled by transmission to the shares so sold.

44. Certificate of forfeiture – A certificate in writing under the hands of any director, or any other officer of the Bank duly authorised in this behalf, that the call in respect of a share was made and that the forfeiture of the share was made by a resolution of the Board to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such shares.

45. Title of purchaser and allottee of forfeited share – The Bank may receive the consideration, if any, given for the share on any sale, re-allotment or other disposition thereof and the persons to whom such share is sold, realloted or disposed of may be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, re-allotment or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Bank exclusively.

46. Service of a notice or document to shareholders –

(I) The Bank may serve a notice or a document on any shareholder either personally, or by ordinary post at his registered address or if he has no registered address in India, at the address, if any, within India supplied by him to the Bank for giving of notice to him.

(II) Where a document or a notice is sent by post, the service of such document or notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying and posting a letter containing the document or notice :

Provided that where a shareholder has intimated to the Bank in advance that documents should be sent to him under a certificate of posting or by registered post, with or without acknowledgement due and has deposited with the Bank a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the shareholder. And such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a meeting at the expiration of forty eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post.

(III) A notice or a document advertised in a newspaper widely circulated in India shall be deemed to be duly served on the day on which the advertisement appears on every shareholder or the Bank who has no registered address in India and has not supplied to the Bank an address within India for giving of notice to him.

(IV) A notice or document may be served by the Bank on the joint holder of a share by effecting service on the joint-holder named first in the register in respect of the share and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of the said shares.

(V) A notice or a document may be served by the Bank on the persons entitled to a share upon death or in consequence of the insolvency of a shareholder by sending it through post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or assignees of the insolvent, or by any like description, at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons, claiming to be so entitled, or until such an address has been so supplied, by serving the document in any manner in which it might have been served if the death or insolvency had not occurred.

(VI) The signature to any notice to be given by the Bank may be written or printed.

.....

CHAPTER – III

SECURITIES OF THE BANK HELD IN A DEPOSITORY

47. Agreement between a depository and the Bank – The Bank may enter into an agreement with one or more depository to avail of its services in respect of securities issued by the Bank.

48. Agreement between a Participant and the depository

(I) Any participant may enter into an agreement with the depository to act as its agent. The depository with whom the agreement will be entered into will be one whose services the Bank has agreed to avail of under Regulation 47.

(II) Any shareholder of the bank may through the participant enter into an agreement with the depository in the form specified by such depository for availing its services in respect of securities issued by the Bank.

49. Surrender of certificate of security

(I) Any shareholder or holder of any security of the bank who has entered into an agreement under regulation 48 above, shall surrender the certificate of security in respect of which he seeks to avail the service of a depository to the bank.

(II) The Bank on receipt of the certificate of security under sub-regulation (I) above, shall cancel the certificate of security and substitute in its record the name of the depository as a registered owner in respect of that security and inform the depository accordingly.

(III) A depository shall, on receipt of information under sub-regulation (II) above, enter the name of the person referred to in sub-regulation (I) above, in its records as the beneficial owner.

50. Registration of transfer of securities with depository – Every depository shall on receipt of intimation to effect transfer from the Bank register the transfer of securities in the name of the transferee.

51. Option to receive security certificate or to hold the security held with a depository –

(I) Every person subscribing to securities offered by the Bank, shall have option either to receive security certificate or hold the security with the depository.

(II) When a person opts to hold security with the depository the Bank shall intimate such depository details of allotment of securities and on receipt of such information, the depository shall enter in its register, name of the allottee as the beneficial owner of that security.

52. Securities in depository to be in a fungible form – All securities held by the depository shall be dematerialised and shall be in a fungible form.

53. Rights of beneficial owner – The beneficial owner shall be entitled to all the rights and benefits and be subjected to all the liabilities in respect of his securities held by the depository.

54. Register of Beneficial Onwer

(I) Every depository shall maintain a register and an index of beneficial owners in such form as may be prescribed under the Depositories Act, 1996 or by SEBI in respect of securities of the bank held by the Depository.

(II) The depository shall furnish to the Bank at such intervals as may be prescribed by the Bank, an updated copy of the register and index of the beneficial owner maintained by it.

55. Option to opt out in respect of any securities

(I) If the beneficial owner seeks to opt out from the depository in respect of any security, he shall inform the depository accordingly.

(II) The depository shall on receipt of such intimation under sub-regulation (I) above make appropriate entries in its records and shall inform the Bank.

(III) The Bank shall within 30 (thirty) days of the receipt of intimation from the depository and on fulfilment of such conditions and on payment of such fees as may be specified in the SEBI Depositories & Participants Regulations, 1996 and/or the Depositories Act, 1996 issue a certificate of security to the beneficial owner or the transferee as the case may be.

.....

CHAPTER – IV

MEETINGS OF SHAREHOLDERS

56. Notice convening an Annual general meeting

(I) A notice convening an annual general meeting of the shareholders signed by the Chairman and Managing Director or Executive Director or any authorised official of the Bank shall be published at least twenty one clear days before the meeting is not less than two daily newspapers having wide circulation in India.

(II) Every such notice shall state the time, date and place of such meeting and also the business that shall be transacted at that meeting.

(III) The time and date of such meeting shall be as specified by the Board. The meeting shall be held at the place of head office of the Bank.

57. Extraordinary General Meeting –

(I) The Chairman & Managing Director or in his absence the Executive Director of the Bank or in his absence any one of the Directors of the Bank may convene an Extra Ordinary General Meeting of shareholders if so directed by the Board, or on a requisition for such a meeting having been received either from the Central Government or from other shareholders holding shares, carrying, in the aggregate, not less than ten percent of the total voting rights of all the shareholders.

(II) The requisition referred in sub-regulation (I) shall state the purpose for which the Extra Ordinary General Meeting is required to be convened, but may consist of several documents in like form each signed by one or more of the requisitionists.

(III) Where two or more persons hold any share jointly, the requisition or a notice calling a meeting singed by one or some of them shall, for the purpose of this regulation have the same force and effect as if it had been signed by all of them.

(IV) The time, date and place of the Extra Ordinary General Meeting shall be decided by the Board :

Provided that the Extra Ordinary General Meeting convened on the requisition by the Central Government or other shareholder shall be convened not later than 45-days of the receipt of the requisition.

(V) If the Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director, as the case may be, does not convene a meeting as required by sub-regulation (I), within the period stipulated in the proviso to sub-regulation (IV),

the meeting may be called by the requisitionist themselves within three months from the date of the requisition :

Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to prevent a meeting duly convened before the expiry of the period of three months aforesaid, from being adjourned to some day after the expiry of that period.

(vi) A meeting called under sub-regulation (v) by the requisitionist shall be called in the same manner, as nearly as possible as that in which the other general meetings are called by the Board.

58. Quorum of general meeting –

(i) No business shall be transacted at any meeting of the shareholders unless a quorum of atleast five shareholders entitled to vote at such meeting in person are present at the commencement of such business.

(ii) If within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present, in the case of a meeting called by a requisition of shareholders other than the Central Government, the meeting shall stand dissolved.

(iii) In any other case if within half an hour after the time appointed for the holding of a meeting, a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and such other time and place as the Chairman may determine. If at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such adjourned meeting shall be quorum and may transact the business for which the meeting was called :

Provided that no annual general meeting shall be adjourned to a date later than the date within which such annual general meeting shall be held in terms of section 10A(1) of the Act and if adjournment of the meeting to the same day in the following week would have this effect, the annual general meeting shall not be adjourned but the business of the meeting shall be commenced within one hour from the time appointed for the meeting if the quorum is present or immediately after the expiry of one hour from that time and those shareholders who are present in person or by proxy or by duly authorised representative at such time shall form the quorum.

59. Chairman at general meeting –

(i) The Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director or in his absence such one of the directors as may be generally or in relation

to a particular meeting be authorised by the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director in this behalf, shall be the chairman of the meeting and if the Chairman & Managing Director or the Executive Director or any other director authorised in this behalf is not present, the meeting may elect any other director present to be the chairman of the meeting.

(II) The chairman of the general meeting shall regulate the procedure at general meetings and in particular shall have power to decide the order in which the shareholders may address the meeting to fix a time limit for speeches, to apply the closure, when in his opinion, any matter has been sufficiently discussed and to adjourn the meeting.

60. Persons entitled to attend general meeting –

(I) All directors and all shareholders of the Bank shall, subject to the provisions of sub-regulation (ii), be entitled to attend a general meeting.

(II) A shareholder (not being the Central Government) or a Director, attending a general meeting shall for the purpose of identification and to determine his voting rights, be required to sign and deliver to the Bank a form to be specified by the chairman containing particulars relating to –

(a) his full name and registered address;

(b) the distinctive numbers of his shares;

(c) whether he is entitled to vote and the number of votes to which he is entitled in person or by proxy or as a duly authorised representative.

61. Voting at general meeting –

(I) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded be decided on a show of hands.

(II) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.

(III) Unless a poll is demanded under sub-regulation (I), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour, or against, such resolution.

(IV) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or

by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to a vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

(v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

(vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.

(vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.

(viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

62. Minutes of general meetings –

(i) The Bank shall cause the minutes of all proceedings to be maintained in the books kept for the purpose.

(ii) Any such minutes, if purporting to be signed by the chairman of the meeting at which the proceedings were held, or by the chairman of the next succeeding meeting, shall be evidence of the proceedings.

(iii) Until the contrary is proved, every general meeting in respect of the proceedings hereof minutes have been so made shall be deemed to have been duly called and held, and all proceedings held thereat to have been duly held.

.....

CHAPTER – V

ELECTION OF DIRECTORS

63. Directors to be elected at general meeting

(I) A director under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Act – shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the general meeting of the Bank.

(II) Where an election of a director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of shareholders

(I) For the purpose of election of director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.

(II) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

65. Nomination of candidates for election

(I) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,

(a) he is a shareholder holding 100 shares in the Bank;

(b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme;

(c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;

(d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed

shall be despatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;

(e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of Assurance or other Gazetted officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a director.

(II) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

66. **Scrutiny of nominations**

(I) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.

(II) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

(III) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

67. **Election disputes**

(I) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of declaration of the result of such election, give intimation in writing therof to the Chairman & Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

(ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act.

(iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

(iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

.....

CHAPTER – VI

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of voting rights –

(I) Subject to the provisions contained in section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

(II) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regualtion (I).

Explanation – For this Chapter, "Company" means any body corporate.

(III) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a geneal meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself, but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorised representative –

(I) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government/ company.

(II) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the head office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Proxies –

(i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorised in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing :

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is , for any reason, unable to write his names, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government gazetted officer or an Officer of the Bank.

(ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the head office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank,

(iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

(iv) An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

(v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

(vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

(vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.

.....

UCO BANK

FORM – 'A'

SHARE TRANSFER FORM

(*see* sub-regulation (i) of regulation 17)

FOR THE CONSIDERATION stated below the "Transferor(s)" named do hereby transfer to the "Transferee(s)" named the shares specified below subject to the conditions on which the said shares are now held by the Transferor(s) and the Transferee(s) do hereby agree to accept and hold the said shares subject to the condition aforesad.

Full Name of Company

Name of the recognised : Stock Exchange, where dealt in, if any,

---

Description of Equity Shares

No. in Figures	Number in words	Consideration (in figures)	Consideration (in words)

Distinctive Number From

To

Corresponding Certificate Nos.

Transferor(s) [Seller(s)] Particulars	Regd. Folio No.	Signature(s)
Name(s) in full	1. _____	1. _____
	2. _____	2. _____
	3. _____	3. _____
	4. _____	4. _____

FORM – 'A' *(Contd.)*

ATTESTATION

I hereby attest the signature of the Transferor(s) herein mentioned

Signature _____

Name _____

Address/Resl. _____

_____

Signature of Witness _____

Name and address of Witness

_____

_____

_____

_____ PIN _____

Transferee(s) Name(s) in full	[Buyer(s)] Particulars	Signature(s)
	1. _____	1. _____
	2. _____	2. _____
	3. _____	3. _____

Occupation	Address	Father's/Husband's Name
1.		
2.		
3.		

Transferee(s) existing Folio if any, in same order of Names _____

Value of Stamp affixed Rs. _____

Dated this _____ day of _____ One Thousand Nine Hundred _____

_____ Place _____

Office use only

Checked by _____

Signatures tallied by

_____

Entered in Register of Transfer No. _____

Approval Date _____

Folio : _____ Company Code : _____

Specimen Signature(s) of Transferee(s)

1. _____

2. _____

3. _____

FORM – 'A' *(Contd.)*

Instruction for attestation :

Attestation where required (thumb Impressions, marks, signature difference etc.) should be done by a Magistrate, Notary Public or Special Executive Magistrate or a similar authority holding a Public Office and authorised to use the seal of his office or a member of a recognised Stock Exchange through whom the shares are introduced or a manager of the Transferor(s) Bank.

NOTE : Names must be rubber stamped preferably in a straight line. Chronological order should be maintained. Broker's Clearing Numer should be stated when delivery is given by a clearing Member Bank.

Name of delivering broker or Clering member _____ Date _____

POWER OF ATTORNEY/PROBATE/DEATH CERTIFICATE

LETTERS OF ADMINISTRATION

Registered with the Company

No. _____ Date _____

[Signature (not Initials) of broker, Bank, Company or Stock Exchange Clearing House]

LODGED BY : _____

FULL ADDRESS : _____

_____

_____

SHARE CERTIFICATE TO BE RETURNED TO :
(Fill in the name and address to which the certificates are required to be returned)

Name & Address : _____

_____

Share Transfer Stamps

UCO BANK

FORM—'B'

FORM OF PROXY

(see sub-regulation (iii) of regulation 70)

Folio. No.....
(To be filled in by the Shareholder)

I/We, resident of .....in the district of .....in the state of ..... being a Shareholder/Shareholders of the UCO Bank hereby appoint Shri .....resident of .....in the district of ..... in the state of .....or failing him Shri .....resident of ..... in the district of ..... in the state of ..... as my/our Proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the meeting of the Shareholders of the UCO Bank to be held on the ..... day of .....19....., and at any adjournment thereof.

Signed this ..... day of ..... 19 .....

Name : .....

Address : .....

.....

AFFIX REVENUE STAMP

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, The 11th November 1999

No. 13-CA (EXAM)/D/99—In continuation of the Institute's Notification No. 13-CA (EXAM)/N/99 dated the 21st July 1999 it is notified for general information that due to super cyclone in the State of Orissa the Chartered Accountants supplementary examination for the Foundation Intermediate and Final examinations will be held at Bhubaneswar and Cuttack examination centres only in the State of Orissa on the dates given below exclusively for the following categories of candidates :

FOUNDATION EXAMINATION : (As per syllabus contained in para 1A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations 1988).

8th, 9th, 10th and 11th December 1999.

(Morning Session 8.00 a.m. to 11.00 a.m) (IST)

INTERMEDIATE EXAMINATION : (As per Syllabus contained in para 2A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations 1988).

Group I : 4th, 5th and 6th December 1999

Group II : 7th, 8th and 9th December 1999.

(Afternoon Session 12.30 p.m. to 3.30 p.m.) (IST)

FINAL EXAMINATION : (As per syllabus contained in Para 3A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations 1988).

Group I : 4th, 5th, 6th and 7th December 1999

Group II : 8th, 9th, 10th and 11th December 1999 (Morning Session —8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

For candidates of Bhubaneswar and Cuttack examination centres :

For Group I of Intermediate and Final Examinations :

(a) Eligible students who could not at all appear in the Group I of the Intermediate and Final Examination; or

(b) Eligible students who had appeared in the papers of the Intermediate and Final examinations commenced from 1st November 1999 and who had given option to the examination Superintendent at the concerned centres in writing prior to commencement of the 3rd

paper of Group-I held on 3rd November 1999 that they intended to appear afiesh in the supplementary examination and their appearance in first two papers of Group-I of Intermediate/ Final examination held on 1st and 2nd November 1999 be not taken cognizance of under any circumstances. However if a student had appeared in the 3rd paper of the Intermediate/Final Examination held on 3rd November 1999 he shall not be allowed to appear in the supplementary examination to be held from 4th December 1999.

It is clarified that no candidate shall be allowed to appear in the supplementary examination to be held from 4th December 1999 if the students had continued to appear in the subsequent paper(s) of Group-I held on 3rd November 1999 in case of Intermediate examination and 3rd and/or 4th November 1999 in case of Final examination after exercising the option to appear in supplementary examination or after appearance in paper 2 of Group-I of the Intermediate examination and Final examination.

The above principle will apply to the unit category candidates also.

For Group-II of Intermediate examination and Final examination and Foundation examination.

The elgible students of Foundation examination Group -II of Intermediate and Group-II of Final Examinations were given the option to either appear in the Foundation examination from 5th November 1999 or Group-II of the Intermediate examination starting from 4th November 1999 and Group-II of the Final Examination starting from 5th November 1999 as the case may be or in the respective supplementary examination to be held from 4th December 1999. However those students who had appeared in Foundation examination commenced from 5th November 1999 or Group II of Intermediate Examination commenced from 4th November 1999 or Group II of Final Examination commenced from 5th November 1999 might be given in one paper shall not be entitled to appear in the respective supplementary examination. In other words each students was given the option to appear either in the examination which was held from 1st to 10th November 1999 or in the supplementary examination which has been scheduled to commence from 4th December 1999 and not in both.

The admit card containing Roll No., Venue etc. as already issued/communicated to the candidates shall remain valid for the supplementary examination. Identitiry card already issued shall also remain valid.

JAGDAMBA PRASAD
Additional Secretary (Exams.)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(CENTRAL OFFICE)
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN,
14, BHIKAJI CAMA PLACE
New Delhi-110 066, the 29th October 1999

No. C.P.F.C. 1(4)/MP(1735)/99/4688:—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds' and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

Sl. No.	Code No.	Name & address of the establishment	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	MP/8617	M/s. Vehicle Factory Employees Co-op. Society Ltd. Adhartal Jabalpur	1-4-95
2.	MP/8635	M/s. Malhar Cement Karamchari Sahakari Upbhokta Bhandar Maryadit, P.O. Sarlanagar-485772, Malhar, Dist Satna (M. P.).	1-12-93
3.	MP/8773	M/s. Jabalpur Hatcheries Pvt. Ltd., 201/15, Ratan Colony, Gorakhpur, Jablapur (M.P.)	1-10-95
4.	MP/8783	M/s. Saraswati Shishu Mandir Power Gride, Patan Road Sukha Jabalpur (M.P.)	1-7-95
5.	MP/8703	M/s. S.K Compuprints Pvt. Ltd., St tion Road Coteg on, Dist. Narisinghpur (M.P.)	1-5-96
6.	MP/8799	M/s. Grey Iron Foundary Employees Co-op. Society Ltd., J balpur (M.P.)	1-1-96
7.	MP/8802	M/s. Zila Sah kari Bumi Vikash Bank Maryadit, Sidihi (M.P.)	1-1-96
8.	MP/8814	M/s. Mahrishi Dayanand Saraswati Bal Kalyan Shiksha Samitee, Saraswati Shishu Mandir, Niwas, Distt. Mandla (M.P.)	1-9-96
9.	MP/8818	M/s. The Diocesan Corporation of Jabalpur, Bishop's House, 1, Ahilyabai Marg, Jabalpur-482001.	1-1-96

1	2	3	4
10.	MP/8858	M/s. Jila Sahakari Karamchari Alpa Bachat Samiti Maryadit, Sahakari Sadan Kachahari Marg, Sagar (M.P.)	1-12-96
11.	MP/8882	M/s. Consumers Co-operative Stores Ltd. P.O. Singrauli Colliery, Dist. Sidhi (M.P.)-486889	1-10-96
12.	MP/3901	M/s. Jila Thok Upbhokta Sahakari Bhandar Maryadit, Panna (M.P.)	1-3-97
13.	MP/8935	M/s. Jila Sahakari Sangh Maryadit, Chhatarput (M.P.)	1-4-97
14.	MP/9102	M/s Madhya Pradesh High Court Bar Association, High Court Campus, Jabalpur-482007 (M.P.)	1-1-98
15.	MP/9104	M/s. St. Mary's School, Village-Ginda Barau, Dist. Sagar M.P.-470001.	1-8-97
16.	MP/8483	M/s. Omega Rubber Industries, 93-C, Sanwer Road, Sector-A, Industrial Area, Indore (M.P.)	1-10-93
17.	MP/10190	M/s. Century Cement Sewa Trust, P.O. Baikunth-493116, Dist. Raipur (M.P.)	1-10-95
18.	MP/11438	M/s. B.I.O.P. Deposit-5, Employees' Primary Consumer Co-op. Stores Ltd., P.O. Bacheli-494553 Dist. Bastar, M.P	1-12-97
19.	MP/12041	M/s. Madhya Pradesh Vidyut Mandel Karamchari Paraspur Sahkari Sakh Samstha Maryadit, G.P.H. Pragan Polo Ground, Indore (M.P.)	1-4-98
20.	MP/IN/10370	M/s. Defence Services Officers Institute Golf Course, The College of Combat, Mhow (M.P.) 453441.	1-1-98

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner (HQ)

No. C.P.F.C. 1(4)/DL (1736)/99—1593:—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & Address of the establishment	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	DL/13035	M/s. Quest Educational Services Pvt. Ltd., H-24, Green Park Extn, New Delhi-110016	1-2 91
2.	DL/17946	M/s. D. S. S. Mobile Communications Ltd., C-22, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016.	1-3-95
3.	DL/18854	M/s. Ge-Power Services (India) Ltd., Nehru House, Second Floor, 4, Bahadur Shah Zafar Marg, P.O. Box 7001, New Delhi-110002.	1-4-97
4.	DL/18156	M/s. Paul Security Services (Regd.) J-1/137, D. D. A. Flats Kalkaji, New Delhi-110019	16-2-96
5.	DL/20605	M/s. Cellular Operators Association of India, F-301, Gauri Sadan 5, Hailey Road, New Delhi-110001	1-4-98
6.	DL/20611	M/s. Transiwtch India Pvt. Ltd., A-2/9, Safdar Jung Enclave, Ist Floor, New Delhi-110029	1-4-98
7	DL/20619	M/s. Corning France, India Branch Office, 3rd Floor, World Trade Tower, Barakhamba Lane, New Delhi-110001	1-1-98

1	2	3	4
8.	DL/20623	M/s Globe Trotters Pvt. Ltd. GF-12, Prakash Deep Building, 7 Tolstoy Marg, New Delhi-110001	1-5-90
9.	DL/20665	M/s Greenspan Technology Pvt. Ltd. 313, Vishwadeep Building, District Centre, Janak Puri, New Delhi-110058	1-6-98
10.	DL/20679	M/s Traxon India Pvt. Ltd. E-9 Connaught House, Connaught Place, New Delhi-110001	1-4-98
11.	DL/20682	M/s International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, F-25A, Hauz Khaz Enclaeve, New Delhi-110016	1-4-98
12.	DL/20700	M/s B B. Seima Pvt. Ltd. Dhanraj Chambers, Ist Floor, Village Sitbari, New Delhi-110030	1-7-98
13.	DL/20721	M/s Punjab National Bank All Cadre Co-operative Thrift and Credit Society Ltd. C/o Punjab National Bank, N-86, Connaught Circus, Janpath, New Delhi-110001	1-9-98
14.	DL/20723	M/s Advanced Fibre Communications (India) Pvt. Ltd. Suite 117, The Oberoi Dr. Zakir Hussain Marg, New Delhi-110003	1-4-98
15.	DL/20765	M/s Karl Storz Endoscopy India Pvt. Ltd. 38 Poorvi Marg Vasant Vihar New Delhi-110057	1-6-98
16.	DL/20778	M/s E. W. Petrochemicals Pvt. Ltd. Apt. No. 85, Block 2, 4th Floor, Qutab View Apartments, Katwaria Sarai, New Delhi-110016	1-6-98
17.	DL/20781	M/s Express Gifts Ltd. 11, Mathura Road, Jangpura B, New Delhi-110014	1-4-98
18.	DL/20795	M/s Universal Automobiles, 16/11, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005	1-1-98
19.	DL/20812	M/s Bal Vikash Foundation (Regd.) 450, Sunlight, J.J. Colony-1, New Delhi-110014	1-9-98
20.	DL/20817	M/s Pearl Jewellery India Ltd. N-10, South Extension Part-1, New Delhi-110049	1-5-98
21.	DL/20877	M/s H & M International Ltd. India Liaison Officer H-14, Green Park Extn, New Delhi-110016	1-8-98
22.	DL/20887	M/s Navin Bharti Public School, Durga Puri, Delhi-110093	1-1-98
23.	DL/20970	M/s Bhandari House Flat Holders Welfare Association, Bhandari House, 91, Nehru Place New Delhi-110019	1-11-98
24.	DL/21006	M/s Continental Caps Cartons, 23/35, Station Road, Shaypur, Delhi-110042	1-11-98
25.	DL/21015	M/s Kumaran & Sagar B-4/158 Safdarjung Enclave, New Delhi-110029	1-4-98
26.	DL/21212	M/s GIBCO BRL India Pvt. Ltd. 4F, G. H. 4th Floor, Gopala Tower, 25, Rajindra Place, New Delhi-110008	1-7 98

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provision of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner
(Headquarter)

No. C.P.F.C. 1(4)/PN(1737)/99/4690—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & Address of the establishment	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	PN/13617	M/s. Munak Credit and Investment Pvt. Ltd., S. C. O. 2, IInd Floor, Sector-26 Madhya Marg, Chandigarh-160026.	31-10-92
2.	PN/14063	M/s. Kamla Ornaapac Ltd., Plot No. 81, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh-160002.	1-9-94
3.	PN/14113	M/s. Jagdish Chand Gupta, Contractor, Kothi No. 163, Sector-38-A Chandigarh-160038.	1-1-95
4.	PN/14342	M/s. Shaheed Neerja Bhanot Saravhitkari Public School, 339, Sector-15 A Chandigarh.	1-4-95

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central provident Fund Commissioner, hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. C. PANDEY,
Regional Provident Fund Commissioner (Hqr.)

No. C.P.F.C. 1(4)/GJ(1738)/99/4691:—Whereas it appears to the Central provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

Sl. No.	Code No.	Name & Address of the Establishment	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	GJ/SRT/30276	M/s. Guardwell Security Services (P) Ltd., 804, Hare Krishna Complex, Near Uma Bhawan Bharar Road, Surat.	1-9-95
2.	GJ/SRT/30289	M/s. Prime Cooperative Bank Ltd., Khatodara-Ring Road, Opp. Sub-Jail Surat-395002.	1-4-95
3.	GJ/SRT/30710	M/s. Wel-Fab Engineering, Kesar Complex, Tedwadi, Opp. West Zone Office, Rander Road, Surat.	1-3-96

1	2	3	4
4.	GJ/SRT/30836	M/s. Sharad Micro Die and Engg. Works, T-12, Udyog Nagar, Navsari-396445.	1-6-1996
5.	GJ/SRT/30335	M/s. Shah Doctor and Associates, C-2, Shali Bhadra Apartment, Parle Point, Surat-395007.	1-1-1996
6.	GJ/RJ/26403	M/s. Jayhind Welding Works Bharti Building Ist Floor, Opp. Nanji Kalidas Girls Chhatralay, Bhilwara Main Road, Rajkot-360001.	1-4-1997
7.	GJ/RJ/26404	M/s. Accurate Steel Fabricatores Opp. Old octroi Naka Kuvadwa Road , Rajkot.	1-4-1997
8.	GJ/SRT/30823	M/s. En-Vision Engineering 208, G-Tower, Shankheshwar Compex Above Girish Group of Hospital Sagrampura, Surat-395002.	30-3-1996
9.	GJ/21294	M/s. Amar Roadways Co. Shikari Mohalla, Pojan Bazar, Near Police Chowki, No. 3 Godhra-389001. Distt. Panchmahal.	1-3-1999
10.	GJ/SRT/31278	M/s. Archna Engineering Service Boridara (Amboli) Ankleshwar-393001	1-6-1997
11.	GJ/SRT/31343	M/s. Kamla Enterprises A-24 Nandewar Chokdi, Near Relief Steel Station Road Bharuch-392001.	30-6-1997
12.	GJ/SRT/31354	M/s. Hi-Tech Valve Service, Plot No. L-7837/5, G.I.D.C. Ankleshwar Distt. Bharuch, Gujarat.	1-1-1998
13.	GJ/SRT/31364	M/s. H. N. Agencies, 39, Pushpakunj Society, Zadeshwar Road, Bharuch.	1-1-1997
14.	GJ/AH/26167	M/s. Mahesh Bhai B. Brahmbhatt, 14, Vithal Park Society-Vibhag-2, Opp. Urban Bank, Mehsana-384002.	1-6-1996

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

No. C. P. F. C. 1 (4)/KN (1739)/99-4692 : Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952—(19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & Address of the Estabishment	Date of Coverage
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	KN/14240	M/s. Tergaov Large Size Multipurpose Co-operative Society Ltd. Tergaov Taluk Haliyal North Kanara-581329.	01-01-1991
02.	KN/15069	M/s. Taluk Agricultural Produce Co-op. Marketing Society Ltd. Humnabad District. Bidar.	01-06-1991

(1)	(2)	(3)	(4)
03.	KN/16189	M/s. Vysya Co-operative Bank Ltd. Vivekanand Road Tumkur-572101.	01-04-1993
04.	KN/BN/19802	M/s. Auto Striping India Pvt. Ltd. 173/2 Madivala Grama Bandapura Anekal Taluk Bangalore-562106.	01-03-1997
05.	KN/19390	M/s. Sri Hari Exports 812, 23rd Main J. P Nagar IInd Phase Bangalore-560078	01-06-1996
06.	KN/20323	M/s Lobo Machine Shop, Shed No. C-12, Opp. Canara Steel, Industrial Estate, Baikampady, Mangalore-575011	01-09-1998
07.	KN/20344	M/s. Sri Ram Sanitary 1/24 Azizuddin Road Bunder Mangalore-575001.	01-04-1999
08.	KN/20347	M/s. Nirman Associates "Sushanth" H No 3—10/19 Gandhinagar Kavoor Mangalore-15	01-03-1998
09.	KN/21005	M/s. Hyderabad Karnataka Chamber of Commerce & Industry IInd Floor Chambers Building Complex Super Market) Gulbarga-585101 (Karnataka).	01-01-1995
10.	KN/21103	M/s. Bilal Education Society Kamthana-585226, Tq. & Distt Bidar.	01-08-1996
11.	KN/21109	M/s. The Bagalkot Urban Co-op. Bank Ltd. V. P. M. Premises Bagalkot-587101.	01-11-1996
12.	KN/21137	M/s. Hotel Aradhana Delux, Near Bus Stand, Bagalkot	01-04-1997
13.	KN/21155	M/s. The Sindagi Urban Co-operative Bank Ltd. Sindgi-586128. Distt. Bijakur—	01-04-1997
14	KN/21162	M/s. The Banahatti Handloom Textile Processing Co-op. Society Ltd; Taluk Jamkhandi Banahatti-587311. Distt. Bijapur.	01-04-1997
15.	KN/21166	M/s. Vyasaya Seva Sahakara Sangha Niyamitha, Marlanahalli, Tq. Gangavathi. Distt. Raichur (Karnataka.	01-04-1997
16.	KN/21170	M/s. Rythara Seva Sahakari Singh Niyamith, Maski-584124. Taluk Lingasugar, Distt. Raichur——	01-04-1997
17.	KN/21175	M/s. Cauvery Lables Ltd 4 (C) 1 Kolhar Industrial Area Kolhar-585403 Bidar (Karnataka).	01-10-1993
18.	KN/21190	M/s Bidar Mahila Urban Co-op. Bank Ltd. No. 8-10-39, New Housing Colony, Indira Market, Bidar-585401.	01-01-1998
19	KN/21224	M/s The Bidar Co-operative Printing Works Ltd. Govinda Complex, Janawada Road, Bidar-585401.	01-05-1998
20	KN/23002	M/s Creative Engineers Begur Hospote Tq Bangalore Distt. 562122.	31-07-1997
21	KN/23681	M/s Smart Modula Technologies India Pvt. Ltd No. 83, Railway Parallel Road Kumara Park West Bangalore-560020.	01-04-1998
22	KN/23595	M/s Nike Inco Ind Liaison Office 204-205 Embsasy Square 148 Infantry Road, Bangalore.	01-01-1998

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K.C. PANDEY,
Regional Provident Fund Commissioner (HQ).

No. C. P. F. C. I (4)/HR (1740)/99—4693 : Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No	Code No.	Name & Address of the Establishments	Date of Coverage
1	2	3	4
01.	HR/7792	M/s. Prasha Electronics Ltd. 249-C Udyog Vihar Phase-IV P. O. Maruti Gurgaon (Haryana)	02-01-1995
02.	HR/8310	M/s. Shakti Vidya Niketan High School 3-E/3 B. P. N. I T. Faridabad. (Haryana.)	01-10-1995
03.	HR/8713	M/s. Bhagwati Placement Services— E/879 Air Force Road Dabua Colony N. I. T. Faridabad-121001.	01-07-1995
04.	HR/8772	M/s. I. H. I. International 66-B Hardware Chowk N. I. T. Faridabad-121001.	01-08-1996

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section 4 of Section 1 of the said Act Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner (H Q.)

New Delhi-110 066, the 8th October 1999

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. 1/4697.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(B) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act in continuation of Government of India, the Ministry of Labour/ C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the Provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemptions was granted/ Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C. P. F. C's. File No.
1.	M/s Kapoor Enterprises A-66 Okhla Phase-II New Delhi-20	DL/5520	2/1959/DLI/Exem/89/Pt.	31-03-1990	01-04-1990 to 31-01-1992 The Estt. Switch Over to EDLI Scheme w. e. f. 01-02-1992	2/3282/90
2.	M/s. Rail Infra Technical Economic Service Ltd. New Delhi House 27 Barakhamba Road New Delhi-1.	DL/5633	dt. 15-3-99	20-05-1998	21-05-1998 to 20-05-2001	2/866/83/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, before given his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporaton of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s)/legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, the 14th September 1999

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/4703.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No	No and Date of movt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended	Date for Expiry	Period for Exemption	C. P. F. C's File No.
1.	M/s. [illegible] Chemicals Mathura Road, Faridabad Haryana	HR/1063	2/1959/DLI/Exemp/89/ Part-I	31-03-1993	01 04-1993 to 31-03-1996 & 01-04-1996 to 31-03-1999	5/6/99/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns payment of insurance premia, transfer, of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1999